मुंबई युनिवर्सिटी

बी. एड. के नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित

हिन्दी माध्यम

बी. एड. छात्रों

के लिए अप्रतिम उपहार

सफलता का ब्रह्मास्त्र

विद्याधनम् सर्वधनम् प्रधानम्

समकालीन भारत एवं शिक्षा
(Contemporary India & Education)

लेखक

सौ. सरस्वती आर. रांदड़
(डी.एड., एम.ए.बी.एड.)
वरिष्ठ शिक्षिका
डिवाइन हिम हाईस्कूल एण्ड ज्यूनियर कॉलेज,
भाईंदर (पूर्व), ठाणे

देवेंद्र वी. बी. सिंह (वरिष्ठ पत्रकार)
स्नातक- गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
पूर्व उपसंपादक - स्टारडस्ट, हेल्थ ऐण्ड न्युट्रीशन
संस्थापक - श्री राजेन्द्र हनीकॉम्ब,
अध्यक्ष - चिल्ड्रेन एण्ड वीमेन केयर फाउण्डेशन

Unit 3

समकालीन भारत एवं शिक्षा

Contemporary India & Education

संवैधानिक मूल्य एवं शिक्षा के ध्येय

Constitutional Values & Aims of Education

संविधान की प्रस्तावना (Preamble of the Constitution)

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसे तैयार करने के लिए संविधान समिति की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। 21 अगस्त 1947 को मसौदा समिति की स्थापना की तथा इस समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अंबेडकर की नियुक्ति की गई। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के अथक परिश्रम द्वारा संविधान की रचना हुई अतः उन्हें 'संविधान का शिल्पी' कहा जाता है।

संविधान की विशेषताएँ (Characteristics)

(1) भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसमें सभी मुद्दों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

(2) भारत एक सार्वभौम एवं प्रभुत्त्व संपन्न संघराज्य है।यह देश किसी भी देश से मैत्रीसंबंध स्थापित करने तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता प्राप्त करने में स्वतंत्र रुप से सक्षम है।

(3) भारत के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता (Secularism) मूल्य को अपनाया है अर्थात भारत का कोई राज्य [illegible] सभी धर्मों को समान महत्व प्राप्त है।

(4) समाजवाद के विकास द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक समानता प्रस्थापित करने का ध्येय संविधान ने रखा है।

(5) संसद को प्रमुख स्थान देकर मंत्रीमंडल के सदस्यों को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। परंतु सभी कार्य संयुक्त उत्तरदायित्व से ही किए जाएंगे। अध्यक्ष को अधिकार दिए गए है परंतु वे नाममात्र है।

(6) संविधान परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय भी है। यदि उसमें संशोधन करना हो तो एक विधेयक पारित करना होता है। इस पर संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा में चर्चा होकर यदि बहुमत से स्वीकृति मिली तो उसे संविधान में स्थान दिया जाता है। किंतु राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्रशासित प्रदेश एवं घटक राज्यों के अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय आदि विषयों पर संशोधन करना जटिल होता है। अतः यह अपरिवर्तनीय भी होता है।

(7) केंद्र शासन को संविधान ने विस्तृत अधिकार दिए हैं। न्यायपालिका, संघसूची, राज्यसूची, आपातकाल के समय निर्णय आदि विषयों में केंद्र सरकार को सुदृढ़ बनाया गया है।

(8) स्वतंत्रता यह मूल्य अपनाकर नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं किंतु राष्ट्रीय एकात्मता की

दृष्टि से उन्हें भी सीमीत रखा गया है, ताकि अधिकारों के दुरूपयोग से दूसरों को क्षति न पहुँचे।

संविधान का शैक्षणिक महत्त्व (Educational Implication of Constitution)

(1) संविधान कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका इन संकल्पनाओं को केवल परिभाषित ही नहीं करता बल्कि उनके उत्तरदायित्व एवं कार्यों में भेद स्पष्ट करता है। जनता एवं सरकार में संबंध स्थापित करता है।

(2) संविधान में निहित तत्त्वों का पालन करना प्राथमिक कर्तव्य है।

(3) भारतीय संविधान ने लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकात्मता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि मूल्यों को महत्त्व दिया है। इन्हीं के आधार पर राष्ट्रीय ध्येय निश्चित किए गए हैं।

(4) संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख किया है।

(5) संविधान सत्ताधारी पक्ष की स्थापना के साथ उनकी कार्यवाही पर नजर रखता है तथा अधिकारों के अनुचित उपयोग पर पाबंदी लगाता है।

(6) भारत में कानून से अधिक महत्त्व संविधान को दिया गया है। संविधान प्रत्येक क्षेत्र में न्याय देने का कार्य करता है।

(7) भारतीय संविधान एक अनोखे राष्ट्र का संविधान है जहां विभिन्न जाति, धर्म, भाषा तथा प्रांत के 125 करोड़ लोग रहते हैं।

(8) संविधान में 448 धारा (Article) तथा 12 परिशिष्ट (Schedules) है। अतः यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है।

संविधान की प्रस्तावना (Preamble of the Constitution)

संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों की सामूहिक महत्त्वाकांक्षा को स्पष्ट करती है तथा मूलभूत उद्देश्यों का वर्णन करती है। यह प्रस्तावना स्कूल परिवेश में प्रत्येक छात्र को अमानुष, अनैतिक व्यवहार से सुरक्षा तथा स्वतंत्रता प्रदान करती है।

"उद्देशिका" (प्रस्तावना)

"हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण-प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

उपर्युक्त प्रस्तावना यह संविधान का सार है। संविधान में संशोधन करने अथवा कानून बनाने के समय इसके मूल स्वरूप (Basic Structure) को थोड़ा भी बदला नहीं जाएगा ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का कथन है।

संविधान प्रस्तावना (उद्देशिका का शैक्षिणक महत्त्व)

(1) संविधान प्रस्तावना भारतीय मूल्यों एवं आदर्शों का प्रदर्शन करती है।

(2) भारतीय जनता की मान्यता को स्पष्ट करती।

(3) भारत देश सार्वभौम, समाजवादी, लोकतांत्रात्मक गणतंत्र राष्ट्र है यह स्पष्ट करती है।

(4) संविधान में समाहित मूल्यों, न्याय, स्वतंत्र, समानता, बंधुता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकात्मता इन को स्पष्ट करती है।

(5) भारतीय नागरिक किसी भी भेदभाव अथवा अन्याय को सहन नही करेगा इस बात पर बल देती है।

(6) संविधान को 26 नवंबर 1948 को अगीकृत तथा अधिनियमित किया यह बताती है।

(7) राष्ट्र के उद्देश्य, न्याय, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता को स्पष्ट करती है।

Unit 3 b.

(B) मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य (Fundamental Rights & Duties)

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

भारतीय संविधान मे प्रारंभ में सात मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था। किंतु बाद में संपत्ति के अधिकार को सूची में से निकाल दिया गया। अब यह मौलिक अधिकार नही बल्कि सामान्य अधिकार है। 86 वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार (Right to Education) यह अधिकार मौलिक अधिकारों में समाविष्ट किया गया।

इस प्रकार आज संविधान में सात मौलिक अधिकारों का समावेश है।

(1) समानता का अधिकार

(2) स्वतंत्रता का अधिकार

(3) शोषण के विरूद्ध अधिकार

(4) धार्मिक स्वतंत्रता

(5) संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता

(6) संवैधानिक उपाय योजना करने का अधिकार

(7) शिक्षा का अधिकार

(1) समानता का अधिकार (Right to Equality) (अनुच्छेद 14 से 18)

समानता का अधिकार में निम्न बातों का उल्लेख है।

- कानून में समानता - भारतीय राज्य में किसी भी व्यक्ति को कानून में समानता तथा समान सुरक्षा से वंचित नहीं रखा जायेगा।
- धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- सार्वजनिक सेवा लाभ में समान अवसर प्राप्त होगा।
- अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निर्मुलन किया गया है अतः इसके आचरण के लिए कानून में दंड की व्यवस्था की गई है।

(2) स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) (अनुच्छेद 19 से 22)

- भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्र के सभा का अधिकार
- संगठन बनाने की स्वतंत्रता
- भारत के किसी भी भाग में भ्रमण का अधिकार
- भारत में कही भी निवास का अधिकार
- किसी भी व्यवसाय उद्योग की स्वतंत्रता
- गुनाह सिद्ध करने हेतु सुरक्षा का अधिकार
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right aganist Exploitation) (अनुच्छेद 23 से 24)

- मानव की खरेदी-विक्री पर पूर्णतः रोक लगाई गई हैं।
- बाल रोजगार के रूप में 14 वर्ष उम्र से छोटे बालकों को कारखाना, खदान आदि स्थानों पर मजदूर के रूप मे नहीं रखा जाएगा।

(4) धार्मिक स्वतंत्रता (Right to Freedom of Religion) (अनुच्छेद 25 से 28)

- शांति पूर्वक धर्म का आचरण एवं प्रसार करना
- धार्मिक व्यवहार की व्यवस्था की देखभाल करना
- धार्मिक संवर्धन के लिए कर देने की स्वतंत्रता

(5) संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार (Cultural & Educational Rights) (अनुच्छेद 29 से 30)

- अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण
- भारत में किसी भी प्रांत में रहनेवाले नागरिक समूह को स्वयं की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का जतन करने का अधिकार
- अल्पसंख्यक समाज को शैक्षणिक संस्था की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार

(6) संवैधानिक उपाय योजना का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) (अनुच्छेद 32 से 35)

- मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी करने का अधिकार हैं।
- अधिकारों की सुरक्षा हो तथा उल्लंघन न हो इस तरतूद संविधान में की गई है।
- अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33 तथा 34 के अनुसार संसद द्वारा जिस विषय पर कानून की तरतूद आवश्यक है तथा जिन कार्यों को अपराध के रूप में घोषित किया है उन्हें दंड देने का अधिकार केवल संसद को है।

(7) शिक्षा का अधिकार (Right to Education) (अनुच्छेद 21-A)

- संविधान में 2002 की 86 वे संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21-A को समाविष्ट किया गया। इस के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों के अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

शैक्षणिक महत्त्व (Educational Implications)

(1) मौलिक अधिकारों में उन अधिकारों का समावेश है जिनके द्वारा नागरिक स्वयं के साथ समाज का विकास करता है।

(2) मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक की मौलिक स्वतंत्रता है जो उसके व्यक्तित्व विकास के द्वारा कुशल जीवन जीने का अवसर प्राप्त कराती है।

(3) ये अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, प्रांत अथवा लिंग का हो। इस आधार पर कोई भी भेदभाव नही किया जा सकता।

(4) सभी भारतीयों को शांतिमय एवं एकता के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है।

(5) समाज में व्याप्त असमानता को दूर करने तथा सत्ता का विकेंद्रीकरण करने पर बल देते हैं।

(6) भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अतः जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान आदि किसी भी आधार पर भेदभाव करना कानून द्वारा गुनाह माना गया है।

(7) मौलिक अधिकारों के कारण गुलामी, तस्करी, मनुष्य व्यापार आदि अमानवीय कार्यों पर पूर्णतः रोक लगाई गई है।

(8) अल्पसंख्यक समुदाय को संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार देकर उनके अधिकारों की रक्षा की गई है।

(9) स्वतंत्र भारत में मुक्तरूप से जीवन बिताते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने हेतु प्रेरित किया गया है।

मौलिक कर्तव्य (Fundamental ~~Rights~~) DUTIES

भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व का बोध कराने हेतु कुछ मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया है। इस प्रकार अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलु है।

संविधान संशोधन के द्वारा 4(क) यह नया भाग संविधान में जोड़ा गया इस भाग के अनुच्छेद 52(क) में नागरिको के मूलभूत कर्तव्यों का समावेश किया है।

मौलिक कर्तव्य का अर्थ : "भारत की अखंडता की रक्षा हेतु तथा राष्ट्रभक्ति के निर्माण में सहायता करनेवाली नैतिक उत्तरदायित्वों को मौलिक कर्तव्यों का नाम दिया गया है।"

संविधान में कुल ग्यारह मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है जो निम्न प्रकार है।

(1) संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान एवं राजमुद्रा इन राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना।

(2) स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणादायी आदर्शों का जतन एवं अनुसरण करना।

(3) भारत की अखंडता, एकता एवं सार्वभौमता की सुरक्षा करना।

(4) आवश्यकता पड़ने पर देश की सुरक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना।

(5) भारतीय जनता में धार्मिक, भाषिक अथवा प्रांतीय भेदों को दूर कर एकता व बंधुता का निर्माण करना। स्त्रियों की प्रतिष्ठा में घातक रूढ़ियों एवं प्रथाओं को नष्ट करना।

(6) भारत की संमिश्र संस्कृति का जतन कर उसकी सुरक्षा करना।

(7) प्राकृतिक संपत्ति, प्राणी, वनस्पति आदि जीवसृष्टि कर सुरक्षा एवं संवर्धन करना।

(8) विज्ञानवादी दृष्टिकोण, मानवतावाद, खोजप्रवृत्ति एवं सुधारवाद का विकास करना।

(9) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसक प्रवृत्ति का पूर्णतः त्याग करना।

(10) राष्ट्र की निरंतर वृद्धि एवं विकास के लिए व्यक्तिगत एवं सामुहिक कार्यक्षेत्रों में अतुलनीय सफलता प्राप्त करने का भरसक प्रयास करना।

(11) प्रत्येक अभिभावक द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष की आयुवाले बच्चे को शिक्षा का अवसर प्राप्त कराना।

शैक्षणिक महत्त्व

(1) मौलिक कर्तव्य देश के विकास के लिए परिश्रम, लगन एवं निष्ठा के लिए प्रेरणा देते हैं।

(2) सामाजिक अन्याय पर रोक लगाकर मानव अधिकारों की सुरक्षा करते है।

(3) बालकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना सबसे बड़ा उन्नति का कदम है।

(4) प्रत्येक भारतीय नागरिक में स्वतंत्र, मानवतापूर्ण, आरोग्यदायक समाज की निर्मिती करने की जिम्मेदारी का बोध मौलिक कर्तव्यों द्वारा होता है।

(5) भारत की विविधता, अखंडता एवं संस्कृति का आदर तथा रक्षा के उत्तरदायित्व का स्मरण कराते हैं।

(6) पर्यावरण की सुरक्षा कर प्रदूषण पर रोक लगाने के प्रति जागरुकता उत्पन्न कराते हैं।

(7) भारत में व्याप्त अंधविश्वास, अनिष्ट रूढ़ियां नष्ट कर नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा खोजप्रवृत्ति निर्मित होने के लिए मौलिक कर्तव्य प्रेरणा देते हैं।

(8) अधिकारों का दुरुपयोग करने पर रोक लगाते हैं।

unit 3C

(C) राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy)

भारतीय संविधान के चौथे भाग के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों का उल्लेख किया गया है। इनके आधार पर राज्य द्वारा आर्थिक व सामाजिक समानता के लिए सहायक वातावरण निर्मिती के लिए प्रयास किया जाए यह अपेक्षा व्यक्त की गई है। इन नीति के निर्देशक तत्त्वों का समावेश आयरलैंड के संविधान से किया गया है।

राज्य नीति निर्देशक तत्त्वों को तीन भागों में विभाजित किया गया है।

(1) समाजवादी

(2) गांधीवादी

(3) उदारमतवादी

(1) समाजवादी निर्देशक तत्त्व

- राज्य द्वारा लोकसंवर्धन हेतु समाज व्यवस्था प्रस्थापित करना (धारा 38)
- राज्य द्वारा अनुसरण की नीति के तत्त्व, समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता (धारा 39)
- काम, शिक्षा एवं अन्य घटकों में सरकारी सहायता का अधिकार (धारा 41)
- कार्य में न्याय, यथोचित परिस्थिति तथा प्रसूति सहायता की व्यवस्था (धारा 42)

(2) गांधीवादी निर्देशक तत्त्व

- ग्राम पंचायत की सूत्रबद्ध व्यवस्था करना (धारा 40)

के लिए निर्वाह वेतन तथा उद्योग व्यवस्थापन में सहभागिता (धारा 43)

कम आयुवाले बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराना (धारा 45)

जाति, जनजाति तथा दुर्बल घटकों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन।

जीवन स्तर को ऊँचा उठाना तथा आरोग्य में सुधार लाना यह राज्यों का प्रमुख कर्तव्य (धारा 47)

एवं पशुसंवर्धन की उचित व्यवस्था करना।

अन्य निर्देशक तत्त्व

के लिए एकरूप नागरी संहिता (धारा 44)

न्याय विभाग शासन से पूर्णतः स्वतंत्र (धारा 50)

राष्ट्रीय स्मारक, स्थल एवं इमारतों की सुरक्षा (धारा 49)

अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन (धारा 51

...क तत्त्वों का समावेश राष्ट्र के शासकीय व्यवहार के लिए मूलभूत है तथा कानून निर्माण करते समय इन तत्त्वो को लागू करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है ऐसा विधान धारा 37 में किया गया है। साथ ही यह स्पष्ट किया है कि ये तत्त्व कोई अधिकार या कानून नहीं हैं अतः इनको लागू करने के लिए न्यायालय

राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व

धारा 38- राज्य द्वारा जनकल्याण के संवर्धन हेतु समाजव्यवस्था स्थापित करना।

- जिस समाजव्यवस्था में सभी घटकों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय निर्मित हो ऐसी समाजव्यवस्था की स्थापना करे तथा उसे प्रभावी तरीके से लागू कर उसका संरक्षण एवं लोक कल्याण के संवर्धन हेतु सदैव प्रयत्नशील रहे।

- राज्य द्वारा केवल व्यक्ति-व्यक्ति में ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्र एवं व्यवसाय से जूड़े समूहों में भी आर्थिक विषमता कम करने के भरसक प्रयास किये जाय। सुविधा, अवसर आदि में समानता प्रस्थापित करें।

धारा 39- राज्य द्वारा नीति के अन्य तत्त्वों का अनुसरण।

- जनसामान्यों के हित में भौतिक साधनसंपत्ति के स्वामित्व एवं नियंत्रण का विभाजन किया जाए।
- उपजीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का स्त्री व पुरुष दोनों को समान अधिकार हो।
- आर्थिक योजना लागू करते वक्त संपत्ति एवं उत्पादन साधनों का केंद्रीकरण न हो।
- स्त्री-पुरुष दोनों का समान काम के लिए समान वेतन प्राप्त हो।
- स्त्री-पुरुष सभी का स्वास्थ्य, शक्ति का ध्यान रखकर आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें अत्यधिक परिश्रम अथवा कष्ट के लिए प्रेरित न करें।
- बालकों को स्वतंत्र प्रतिष्ठापूर्ण वातावरण में स्वयं का विकास करने के अवसर उपलब्ध कराया जाए तथा शोषण एवं उपेक्षा आदि से उनका संरक्षण हो।

धारा 40- ग्रामपंचायत की सूत्रबद्ध व्यवस्था करना।

... ग्रामपंचायत की सूत्रबद्ध व्यवस्था करने के लिए क्रियाशील रहेगा। तथा ग्राम पंचायत

(1) मौलिक अधिकारों के संवर्धन हेतु नीति निर्देशक तत्त्वों को लागू करना आवश्यक है।

(2) मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्त्व एक दूसरे के पूरक है अतः कल्याणकारी राज्य व्यवस्था के लिए इन तत्त्वों का आधार होना जरूरी है।

(3) संविधान की प्रस्तावना में निहित लोकतंत्र की स्थापना के लिए संसद नीति निर्देशक तत्वों की सहायता से कानून बनाती है।

(4) इनके द्वारा संविधान की सीमा में रहकर मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं।

(5) जन विकास के लिए योग्य नीति बनाने में सहायक है।

(6) न्यायालय के लिए भी उपयुक्त है।

(7) विरोधी पक्ष सरकार के काम-काज पर नियंत्रण रखता है।

(8) पिछड़े एवं दुर्बल समाज के विकास के लिए निर्देशक तत्व महत्त्वपूर्ण है।

(9) सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय के द्वारा जनकल्याण के लिए मार्गदर्शन करते हैं।

शैक्षणिक महत्त्व (Educational Implications)

- जनता के आर्थिक विकास हेतु राज्य सरकार आर्थिक निधी की व्यवस्था करें।
- सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता प्रस्थापित की जाए।
- शिक्षा एवं प्रतिष्ठा दोनों को समान अवसर प्राप्त होता है।
- प्रत्येक नागरिक को उपजीविका प्राप्त करने का समान अधिकार है।
- स्त्री-पुरुष समानता हर क्षेत्र में होगी।
- बालकों की शक्ति का अनुपयोग नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखा जायेगा।
- दुर्बल घटकों को सरकारी नोकरी में आरक्षण प्राप्त होगा।
- शिक्षा के प्रसार तथा अन्य योजनाओं को लागू करने के लिए निधि उपलब्ध कराना।

Unit 4 - A

सार्वजनिक शिक्षा के लिए नीति संरचना
Policy Framework for Public Education

(A) नयी तालीम से शिक्षा अधिकार के मूल स्त्रोत की खोज
Right to Education tracing origin from Naiyee Talim

नयी तालिम/बुनियादी शिक्षा/वर्धा शिक्षा

महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा में एक सभा आयोजित की थी। उस सभा में नयी तालिम/बुनियादी शिक्षा की सिफारिश की गई। गांधीजी ने स्वावलंबन, स्वाभिमान, श्रमप्रतिष्ठा इस त्रिसुत्री पर आधारित योजना बतायी थी। जिसके द्वारा उनके निम्न विचार प्रकट होते हैं-

- विश्व एक विद्यालय है और हम आजीवन छात्र।
- छात्र वास्तविक विश्व में बड़ा होता है।
- यह विश्व बड़ो का, रिश्तो तथा व्यवसायों का है।
- कृति द्वारा शिक्षा महत्त्वपूर्ण अध्यापन पद्धति है।
- छात्र को स्वावलंबन द्वारा शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।

इस सभा में अनेक शिक्षा विशेषज्ञ नेता शिक्षा मंत्री उपस्थित थे। चर्चा के बाद निम्न ठराव किए गए।

(1) देशभर में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाय।

(2) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।

(3) स्थानिक परिवेश के अनुरूप शिक्षा में हस्तोद्योग का समावेश किया जाए।

(4) शिक्षा पद्धति द्वारा शिक्षक के वेतन की सुविधा की जाय।

आगे शिक्षा-योजना तैयार करने के लिए समिती गठित की गई जिसके अध्यक्ष डॉ. जाकिर हुसैन थे। इस समिति में आर्य नायकम, आचार्य विनोबा भावे, काका कालेलकर, किशोरी लाल, के. टी. शाह आदि का समावेश था। संपूर्ण पाठ्यक्रम तैयार करने के बाद महात्मा गांधी ने उसे सम्मति दी। इस प्रकार आगे चलकर इसमें नये परिवर्तन कर यह योजना तैयार की गई जिसे 'नयी तालिम' कहा जाता है।

नयी तालिम की विशेषताएं (Characteristics of Naiee Talim)

(1) मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की सुविधा

(2) शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा हो।

(3) शिक्षा में हस्तकला को महत्त्वपूर्ण स्थान हो।

(4) शिक्षा स्वावलंबन के आधार पर हो।

(5) जीवन से संबंधित हो।

(6) नागरिकता का विकास करनेवाली हो।

(1) मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा

6 से 14 वर्ष की आयुवाले बालकों को कक्षा 1ली से 8वीं तक की शिक्षा का स्वरूप मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के रूप में हो। कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न रहे। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो।

(2) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा

"सार्वजनिक शिक्षा का मूल आधार मातृभाषा में शिक्षा है", ऐसा जाकिर हुसैन ने कहा है। बालक पर अंग्रेजी का बोझ लादना अर्थात उसके विकास में बाधा उत्पन्न करना तथा उसके मूल रूप को नष्ट करना है। इसलिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए।" ऐसा गांधीजी का मत था।

(3) शिक्षा में हस्तकला को महत्वपूर्ण स्थान

प्रत्येक स्थान की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप हस्तकला को शिक्षा में स्थान दिया जाय। इसमें सूत कातना, बागवीना, कृषिकार्य, मत्साय व्यवसाय, चर्म व्यवसाय, खिलौने बनाना, बाँस से टोकरी, चटाई बनाना आदि व्यवसायों का समावेश किया जाय।

(4) शिक्षा का आधार स्वावलंबन

छात्र हस्तकला में विभिन्न वस्तुएँ बनाकर स्कूल में ही बेचे तथा प्राप्त पैसों से स्वयं की शिक्षा का खर्च उठाए। इसी में से शिक्षक का वेतन दिया जाय।

(5) जीवन से संबंधित हो

हस्तकला का चुनाव करते वक्त सामाजिक प्राकृतिक परिवेश को ध्यान में रखा जाय। जीवन से संबंधित हस्तव्यवसाय होने से वह भावी जीवन में उसका उपयोग कर सकता है। अतः शिक्षा केवल किताबी न होकर इसका उपयोजन करना सिखाया जाय।

(6) नागरिकता का विकास हो

बालक देश के भावी नागरिक है। उन पर देश का भविष्य निर्भर है। अतः उसे उत्तम नागरिक बनाने के लिए कर्तव्य पालन, उत्तरदायित्व का बोध, सामाजिकता का बोध आदि गुणों का पोषण होना चाहिए। स्कूल में लोकतंत्रात्मक वातावरण का निर्माण हो।

नयी तालिम का पाठ्यक्रम (Curriculum of Naiee Talim)

(1) हस्तकला : स्थानिक परिस्थिति के अनुरूप पाठ्यक्रम में हस्तकला का समावेश किया जाय। इसमें कृषि, सूत कताई, मतस्यपालन, चर्म उद्योग, बागवीना आदि कार्यो से छात्रों में स्वावलंबन, श्रमप्रतिष्ठा जैसे गुणों का पोषण होता है।

(2) मातृभाषा : बालक अपनी भाषा में सहज बोल सकता है अपने विचार व्यक्त कर सकता है। इसलिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।

(3) गणित : गणित के कारण देनंदिन जीवन तथा अध्ययन में आनेवाली समस्या हल कर सकते हैं।

(4) समाजशास्त्र : इतिहास, भूगोल तथा नागरिकशास्त्र इन विषयों को समाजशास्त्र मे स्थान दिया गया है।

Explain about Nayee Taleem. — 15 marks
नई तालीम के बारे मे वर्णन कीजिए -
नई तालीम [illegible]

(5) चित्रकला : हस्तकला के प्रारंभ में चित्रकला सिखाइ जाय।

(6) संगीत : हस्तकला, चित्रकला एवं संगीत एक साथ सिखाये जाय।

(7) सामान्य विज्ञान : इसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान तथा शारीरिक विज्ञान का समावेश किया गया।

(8) स्वास्थ्य शिक्षा : व्यायाम, खेल, योग द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए।

(9) हिंदी : हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में पाठ्यक्रम में समावेश किया गया।

नयी तालिम के गुण (Merits of Naiee Talim)

(1) शिक्षा का आर्थिक तनाव कम करनेवाली - भारत में अधिकतर लोग गरीब है जो शिक्षा का भार नहीं उठा पाते अतः आर्थिक भार दूर कर शिक्षा प्राप्त करना सरल हो पाता है।

(2) राष्ट्र के विकास में योगदान करनेवाली- आर्थिक रूप से स्वावलंबन होना एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। छात्र अर्थात देश के भावी नागरिक स्वावलंबी होकर राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देने की लिए समर्थ होंगे।

(3) कृति द्वारा शिक्षा- छात्र की कृतिशीलता को प्राथमिकता देकर पाठ्यक्रम में हस्तकला का समावेश किया गया है।जिससे छात्र के मन में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है।

(4) सर्वांगीण विकास करनेवाली- यह छात्र के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की ओर ध्यान देनेवाली शिक्षा है।

(5) मातृभाषा को महत्त्व देनेवाली- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने से छात्र अपनी भाषा का सम्मान एवं विकास स्वयंप्रेरणा से करने लगता है।

(6) छात्र केंद्रीत- छात्र को केंद्र में रखकर यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।

(7) राष्ट्रीय एकता बढ़ानेवाली- शिक्षा में सभी घटकों को समान अवसर देकर भेदभाव मिटानेवाली पध्दति है। इससे राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक एकता का विकास होता है।

(8) आर्थिक समानता लानेवाली- प्रत्येक वर्ग के बालक को समान अवसर मिलने से सभी के बीच की आर्थिक विषमता दूर करती है।

unit -4b

शिक्षा का अधिकार -RTE (Right to Education)

सन 2002 में संविधान में संशोधन कर धारा 21(A) का समावेश किया गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयुवाले बालकों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अधिकार सूची में समाविष्ट किया गया है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण करना यह इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य है।

शिक्षा का अधिकार कानून की विशेषताएं (Characteirstics of Right to Education)

(1) मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा- 6 से 14 उम्र के बालकों को नजदीक की स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिलाकर अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का हक है।

(2) 25 प्रतिशत आरक्षण- सभी स्कूलों में 25 प्रतिशत स्थान दुर्बल एवं पिछड़े घटकों के बच्चों के लिए आरक्षित हो तथा इन बालकों को शत प्रतिशत प्रवेश दिया जाएगा।

(3) निःशुल्क प्रवेश- 6 से 14 वर्ष आयुवाले बालक को निःशुल्क प्रवेश प्राप्त होगा तथा मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

(4) समकक्ष छात्र- यदि कोइ बालक अब तक कभी भी स्कूल नहीं गया हो, फिर भी उसकी उम्र के अनुसार

उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाए। उसे पहली कक्षा से पढ़ना जरूरी नहीं होगा। इस छात्र को कक्षा के अन्य छात्रों से समकक्ष स्तर पर लाने हेतु विशेष अध्ययन की सुविधा दी जाएगी।

(5) प्रवेश पूरे सत्र में कभी भी- पहले प्रवेश की अंतिम तिथी 30 जुलाई होती थी। उसके बाद अगले सत्र में ही प्रवेश दिया जाता था जिससे बालक का वह वर्ष बेकार हो जाता था। अतः आर. टी. ई. के अनुसार शैक्षणिक सत्र में कभी भी प्रवेश ले सकता है।

(6) जन्मप्रमाण पत्र या अन्य प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं- बालक के अभिभावक के पास उसकी जन्म तारीख से संबंधित कोई रिकॉर्ड न हो तब भी उसे स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा।

(7) शिक्षा पूर्ति प्रमाणपत्र- प्रत्येक छात्र को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा अर्थात फेल नहीं किया जाएगा । उसकी प्राथमिक शिक्षा (पहली से आठवीं) पूर्ण होने के बाद उसे शिक्षापूर्ति प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

(8) प्रवेश पूर्व कसौटी पर रोक- बड़े-बड़े स्कूलों में प्रवेश से पूर्व अभिभावकों का इंटरव्यू तथा छात्र की प्रवेश परीक्षा ली जाती है। अतः इस प्रकार की कोई भी पूर्व परीक्षा आर. टी. ई. अनुसार नहीं ली जाएगी।

(9) अधिकारों का संरक्षण- बालकों को प्राप्त अधिकारों का संरक्षण करने हेतु राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना हुई है।

(10) दंड पर पाबंदी- आर. टी. ई. के अनुसार किसी भी छात्र को शारीरिक अथवा मानसिक दंड देने का अधिकार नहीं है। उसे शाब्दिक रूप से व्यंगात्मक शब्द बोलने का भी हक नहीं है। यदि ऐसी कोई भी दंडात्मक क्रिया की गई तो उस व्यक्ति पर उचित कारवाई करने का प्रावधान किया गया है।

(B) सर्व शिक्षा अभियान (S.S.A 2000)

भारत सरकार ने शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक अनेक योजनाओं को लागू किया। फिर भी शत प्रतिशत साक्षर भारत को स्वप्न साकर नहीं हो पाया। इन योजनाओं की तरह केंद्र सरकार ने वर्ष 2001-2002 से 'सर्व शिक्षा अभियान' मुहिम को संपूर्ण भारत में क्रियान्वित किया। इसके अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ध्येय को पूर्ण करने का प्रयास किया गया। साथ ही स्कूल प्रशासन में समाज के सभी घटकों का सक्रिय सहभाग उद्देश्य को सर्व शिक्षा अभियान द्वारा पूर्ण करने का प्रयास किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख ध्येय (Aims of S.S.A)

(1) वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वाले सभी बालकों को उपयुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना।

(2) स्थानिक जनता का स्कूल प्रबंध में सक्रिय सहभाग लेकर सामाजिक भेदभाव दूर करना।

(3) छात्रों के आध्यात्मिक तथा भौतिक क्षमताओं के विकास हेतु अवसर प्राप्त कराना।

सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं (Charachteristics of S.S.A)

(1) 2003 से पहले सभी बालकों को स्कूल में प्रवेश दिलाना।

(2) 2007 से पहले सभी बालकों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना।

(3) 2010 के पहले बालकों को 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा दिलाना।

(4) जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देना।

(5) सामाजिक विषमता दूर कर 2010 तक समान स्तर पर शिक्षण को स्थान देना।

सर्व शिक्षा अभियान की कार्यवाही (Action Plan of S.S.A)

सर्व शिक्षा अभियान की कार्यवाही में प्रधानमंत्री से लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री (HR) जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत राज, स्कूल व्यवस्थापन समिति (SMC), शिक्षक-अभिभावक संघ (PTA), माता-अभिभावक-शिक्षक संघ (MPTA), स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य तथा केंद्र इन सबका समावेश है।

सर्व शिक्षा अभियान की कार्यवाही में निमन घटकों का समावेश किया गया।

- शिक्षकों की नियुक्ति करना।
- नए स्कूलों की स्थापना करना।
- उच्च प्राथमिक कक्षाओं को जोइना।
- अधिक वर्ग (Divisons) एवं अन्य सुविधाओं की पूर्ति करना।
- स्कूल अनुदान (Grant Aids) प्रदान करना।
- शिक्षक अनुदान (Teacher Grant) प्रदान करना।
- दुरस्ती एवं देखभाल अनुदान (Maintenance) प्रदान करना।
- शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना।
- शिक्षकों का प्रशिक्षण देना।
- लोकप्रतिनिधी प्रशिक्षण देना।
- विशेष बालकों के लिए सुविधा (अपंग, मतिमंद आदि) प्रदान करना।
- लड़कियों की शिक्षा पर बल देना।
- बी.आर.सी. (Block Resource Center) तथा सी.आर.सी. (Cluster Resource Center) की स्थापना करना
- शालाबाह्य बालकों को स्कूल में प्रवेश दिलाना।

इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम द्वारा शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के साथ भौतिक सुविधाएं एवं गुणवत्तापूर्ण विकास पर अधिक ध्यान दिया गया।

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चलायी गई योजनाएं

(1) उपस्थिति भत्ता

(2) मुफ्त गणवेश तथा लेखन साहित्य

(3) अपंग समावेशक शिक्षा

(4) शालेय पोषण आहार

(5) महात्मा फुले शिक्षा योजना

(c) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा (Rashtriya Madhyamik Shiksha)

प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण हेतु जिस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान मुहिम चलाई गई उसी प्रकार मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। इसके उद्देश्य थे- माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश दर बढ़ाना तथा गुणवत्ता बढ़ाना। इस अभियान की कार्यवाही, शैक्षणिक सत्र 2009-10 से शुरु की गई। जिसमें 14 से 18

वर्ष आयुवाले छात्रों के लिए सहज, सरल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत निम्न योजनाओं का क्रियान्वयन करना यह प्रमुख दृष्टिकोण था।

- छात्रों को 5 से 7 कि. मी. की दूरी पर माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराना।
- 2017 तक माध्यमिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण करना तथा 2020 तक पटसंख्या स्थिर रखना।
- दुर्बल, आर्थिक रूप से पिछड़े, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े, लड़कियां तथा अन्य उपेक्षित घटकों को के बालकों को माध्यमिक शिक्षा की सुविधा प्राप्त कराना।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत दी गई भौतिक सुविधाएँ

- अतिरिक्त कक्षा- एक माध्यमिक स्कूल में कम से कम दो अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा दी गई है। 10वी के बाद उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए चार अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। इनकी पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा।
- प्रयोगशाला (Laboratory)- विज्ञान तथा गणित विषय के लिए एकत्र प्रयोगकक्ष निर्मिती अनुदान प्राप्त होगा।
- ग्रंथालय (Library)- स्कूल परिवेश में ग्रंथालय बांधकाम हेतु अनुदान दिया जाएगा।
- पेयजल एवं शौचालय की सुविधा- छात्र/छात्राओं के लिए स्वतंत्र शौचालाय की व्यवस्था करना तथा पेयजल की पूर्ति करना।
- संगणक कक्ष (Computer Lab)- स्कूल में बेहतर संगणक कक्ष का निर्माण किया जाए।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि हेतु उपाय

- शिक्षकों की नियुक्ति- छात्र संख्या में वृद्धि होने पर उनका तथा शिक्षकों का अनुपात 35:1 इस प्रकार रहेगा।
- विज्ञान कक्ष- विज्ञान विषय में माध्यमिक स्तर पर कृति को अधिक महत्त्व दिया गया है। प्रयोग, प्रकल्प, प्रात्यक्षिक इन विधियों के उपयोग के लिए विज्ञान कक्ष उपलब्ध किया जाएगा।
- पाठ्यक्रम संरचना- पाठ्यक्रम की संरचना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखकर की गई।
- शिक्षक प्रशिक्षण- शिक्षकों की व्यावसायिक वृद्धि के लिए प्रत्येक वर्ष सेवांतर्गत प्रशिक्षण की योजना चलाई जाती है।
- अध्यापन पद्धति- शिक्षा के गुणवत्ता विकास हेतु नयी-नयी अध्यापन पद्धति का उपयोग किया जा रहा है।
- सूचना संप्रेषण तकनीकी (ICT)- संगणक विषय में आइ. सी. टी. की शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

माध्यमिक शिक्षा अभियान की कार्यवाही पद्धति

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान केंद्र एवं राज्य सरकार की दूरगामी योजना है। इसके लिए केंद्र द्वारा तथा राज्य द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जिसकी सहायता से कार्यवाही की जाती है। जिला स्तर पर अध्ययन कर वार्षिक नियोजन की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसको राज्यस्तर समिती द्वारा मान्य प्राप्त होने के लिए उसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन अहवाल, सुझाव उपलब्ध निधी आदि को ध्यान में रखकर योजना की कार्यवाही को मंजूरी दी जाती है।

Unit 5

शिक्षा आयोग तथा सिफारिशें
Education Commission & Recommendations

(A) भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66
Indian Education Commission 1964-66

भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष डॉ. कोठारी थे इसलिए इसे कोठारी आयोग (Kothari Commission) भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग ने भारत के विकास में भारतीय संस्कृति, आदर्शों तथा मूल्यों के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा प्राप्त शिक्षा उपयुक्त है इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार किया तथा इसे 29 जून 1966 को प्रस्तुत किया।

शिक्षा में गुणवत्ता विकास करना तथा शिक्षा का विस्तार करना यह भारतीय शिक्षा आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। इस प्रकार अपने रिपोर्ट में निम्न उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया है-

कोठारी शिक्षा आयोग के उद्देश्य (Objectives of Kothari Commission)

(1) शिक्षा का आधुनिकीकरण करना (Modernisation of Education)

भारत एक विकासशील देश है। उसके विकास हेतु आधुनिक तकनीकी का उपयोग आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा तकनीकी कुशलता द्वारा उत्पाद बढ़ाना तथा जीवन स्तर को ऊँचा उठाना समय की माँग है, इसके लिए शिक्षा द्वारा आधुनिक, सुशिक्षित नागरिक का निर्माण करना है जो तकनीकी ज्ञान में कुशलता प्राप्त कर चुका हो। अतः शिक्षा का आधुनिकीकरण आवश्यक है।

(2) लोकतंत्र की सुरक्षा - शिक्षा द्वारा छात्रों में राष्ट्र के सुरक्षा की जिम्मेदारी से अवगत तथा जागरूक करना। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करने की क्षमता छात्रों में विकसित करनी होगी। लोकतंत्र का संवर्धन करने के लिए सबको शिक्षा के समान अवसर, उत्तम नागरिकता का निर्माण, नेतृत्व क्षमता का विकास शिक्षा द्वारा किया जाए ऐसा कोठारी आयोग का आग्रह है।

(3) राष्ट्रीय एकात्मता का निर्माण - शिक्षा ग्रहण करते समय अलग-अलग जाति, धर्म, भाषा, लिंग के छात्र एकत्र होते हैं। उनमें अपनत्व तथा बंधुता के साथ राष्ट्रीय एकात्मता की भावना निर्माण करना जरूरी है। हम सब भारतीय होने के नाते भाई-भाई है यह भावना उत्पन्न करना आवश्यक है।

(4) मूल्यों का संवर्धन - छात्रों में आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों का निर्माण करना आवश्यक है। इन मूल्यों के कारण ही व्यक्ति एवं समाज का विकास होता है। सत्य, ईमानदारी, देशभक्ति, आदर इनका महत्त्व समझाकर उनमें आदर्श नागरिकता का निर्माण हो ऐसी शिक्षा दी जाए।

(5) शिक्षा द्वारा उत्पादकता बढ़ाना - छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए

कुशल बनाना है। श्रम द्वारा तथा कार्यानुभव द्वारा व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। अतः समाजसेवा तथा कार्यानुभव विषयों का समावेश पाठ्यक्रम में किया गया है।

भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें

- छात्रवृत्ति : दुर्बल तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए छात्रों को शिक्षा में सहायता कर' के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत छात्रों को शैक्षणिक सामग्री का खर्च, व्यावसायिक शिक्षा के लिए तथा विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है।
- समाजसेवा : महाविद्यालयीन स्तर पर एन.एस.एस.तथा एन. सी. सी. इन विषयों में से कोई एक विकल्प छात्रों को चुनना होता है।
- समयसारणी : महाविद्यालय में पूरे सत्र में 36 सप्ताह का कालावधी तय किया गया है।
- शिक्षा की संरचना : कक्षा पहली से दसवीं तक दस वर्ष का कार्यकाल रहेगा। जिसमें कक्षा 1 से 4 निम्न प्राथमिक, 5 से 8 उच्च प्राथमिक तथा 9 से 10 माध्यमिक ऐसा विभाजन किया गया है। उच्च माध्यमिक में दो वर्ष का कार्यकाल 11वीं तथा 12वीं का रहेगा।
- पाठ्यक्रम : त्रिभाषा सूत्र का अमल किया जाता है। जिसमें हिंदी, अंग्रेजी तथा एक प्रादेशिक भाषा का समावेश है। गणित, विज्ञान तथा समाजशास्त्र इनका समावेश अनिवार्य विषयों के रूप में है। इनका संबंध तकनीकी से जुड़ा हुआ हो। कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षा तथा नैतिक शिक्षा विषयों का समावेश पाठ्यक्रम में किया गया है।
- व्यावसायिक शिक्षा : माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्त्व दिया गया है। छात्र स्वावलंबन द्वारा तथा कृतिद्वारा अध्ययन कर व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करे, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है।
- गुणवत्ता वृद्धि : गुणवत्ता विकास की दर हमेशा वृद्धिगत रहे इसलिए स्कूल मान्यता कायम रखने अथवा मान्यता प्रदान करने के लिए यह मानक लागू किया गया है।
- सीआरसी (CRC) : प्रत्येक स्थानीय विद्यालय एक-दूसरे के समन्वय द्वारा स्वयं का विकास करें इसलिए उस क्षेत्र की एक स्कूल को सीआरसी (Cluster Resource Centre) अर्थात केंद्रीय स्कूल के रूप में देकर अन्य स्कूल उससे जोड़े गये हैं जिससे प्रत्येक स्कूल इस योजना द्वारा अपना गुणवत्ता विकास करे।

unit 5 (a)

(B) राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1986
(National Policy of Education - 1986)

भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा रचित पाठ्यक्रम तथा शिक्षा नीति के उपायों से भारत के आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास में अधिक वृद्धि दिखाई नहीं दी। अतः एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए 1983 में एक रिपोर्ट प्रसिद्ध किया गया जिसका स्वरूप इस प्रकार था-

(1) शैक्षणिक चुनौती

(2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 12 विभाग

(3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कृतियुक्त कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशें / विशेषताएँ

समान पाठ्यक्रम : राष्ट्रीय स्तर पर सभी के लिए समान पाठ्यक्रम की रचना हो तथा सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य हो। पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। पाठ्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, लोकतंत्र, सर्वधर्मसमभाव, राष्ट्रीय एकात्मता आदि घटकों का समावेश अवश्य हो।

जीवन में महत्वपूर्ण स्थान : शिक्षा एक मौलिक आवश्यकता है इसलिए जीवन में इसका स्थान महत्त्वपूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा को प्रमुख निवेश माना जाए।

समान अवसर : सभी स्तरों पर शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाए। इसमें बालक, प्रौढ़, स्त्री इनका समावेश हो। इनके लिए प्रौढ़ शिक्षा, नाइट स्कूल, दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाईन शिक्षा पद्धति इनकी सुविधा प्राप्त करायी जाए। पाठ्यक्रम का उपयोग रोजगार या व्यवसाय प्राप्ति के लिए होना चाहिए। अपंग, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के लिए विशेष स्कूल निर्माण कराए जाए।

प्रतिभाशाली छात्रों की विशेष सुविधा : प्रतिभाशाली मेधावी (Gifted Children) छात्रों के लिए विशेष विद्यालयों का निर्माण हो। उदाहरणस्वरूप-नवोदय विद्यालय। इन स्कूलों में ग्रामीण, आर्थिक रूप से पिछड़े किंतु प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को प्रदेश के समान अवसर मिलने चाहिए।

मुक्त विश्वविद्यालय : शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए प्रौढ़ तथा असामान्य घटकों के लिए दूरस्थ शिक्षा अथवा मुक्त विश्वविद्यालयों (Open University) की स्थापना की जाए।जैसे- इंदिरा मुक्त विश्वविद्यालय, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विश्वविद्यालय आदि।

तकनीकी शिक्षा : भारत जैसे विकसनशील राष्ट्रों में उद्योग में वृद्धि के लिए तकनीकी ज्ञान तथा प्रबंध (ICT and Management) का अत्यंत महत्त्व है इसलिए पाठ्यक्रम में इन विषयों को स्थान दिया जाए इसके लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।

मूल्यमापन पद्धति : मूल्यमापन निरंतर होना आवश्यक है। विभिन्न स्तरों पर इसकी व्यवस्था की जाए जैसे- शिक्षक स्तर, छात्र स्तर, अभिभावक स्तर। अंकों के साथ श्रेणी पद्धति का उपयोग किया जाए। मूल्यमापन में वस्तुनिष्ठता (Objectivity) तथा वैधता (Reliability) का विशेष ध्यान रखकर परीक्षा पद्धति का नियोजन किया जाना चाहिए।

शिक्षक प्रशिक्षण : शिक्षकों में व्यावसायिक कुशलता, खोज प्रवृत्ति, सृजनशीलता आदि का निर्माण हो, ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों का समय-समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। नियुक्ति के लिए मानक निश्चिती तथा वेतन पद्धति की नियमावली तैयार की जाए।

उपलब्ध साधन सामग्री का उचित उपयोग : शिक्षा का व्यावसायीकरण तेजी से हो रहा है। अतः इसमें निवेश उचित पद्धति से किया जाए। जिससे सरकार पर आर्थिक भार का दबाव न पड़े। प्रत्येक पंचवर्षिय योजना में इसका पुनरावलोकन कर नयी नीतियों का समावेश किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति (National System of Education)

राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का तात्पर्य है संपूर्ण भारत में एकात्म शिक्षा पद्धति। इसमें पाठ्यक्रम पद्धति, सुविधाएं, योजनाएं आदि का स्तर समान होगा। इस शिक्षा पद्धति में निम्न प्रकार से आकृतिबंध (Frame) तैयार किया है।

- प्राथमिक शिक्षा- कक्षा 1 से 5
- उच्च प्राथमिक शिक्षा- कक्षा 6 से 8

- माध्यमिक शिक्षा- कक्षा 9 से 10
- उच्च माध्यमिक शिक्षा- कक्षा 11 से 12
- उच्च शिक्षा- कक्षा 13 से 15 (F.Y. to T.Y.)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समाविष्ट नयीं योजनाएं

ब्लैकबोर्ड मुहिम (Operation Black Board)

इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य स्कूल की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। इस मुहिम द्वारा शैक्षणिक सामग्री, शिक्षक, इमारत, स्त्री शिक्षिका इन प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी।

(1) कक्षा-कक्ष का निर्माण जो विस्तृत, हवादार तथा प्रकाशमय हो।

(2) खेल का मैदान तथा क्रीड़ा साहित्य।

(3) प्रत्येक कक्षा में उचित आकार का ब्लैक बोर्ड।

(4) विषयों के अनुसार चार्ट उपलब्ध करना।

(5) मानचित्र तथा प्रतिकृति (Maps & Models)

नवोदय विद्यालय की स्थापना

प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा हेतु नवोदय विद्यालयों का निर्माण किया गया। इसके कारण आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभाशाली छात्रों को निःशुल्क विशेष शिक्षा के साथ निवास की सुविधा उपलब्ध कराया गयी। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए।

प्रमाणपत्र से नोकरी का संबंध विच्छेद

केवल शैक्षणिक पदवी पर ही मूल्यांकन न होकर राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धात्मक परीक्षाओं को महत्त्व दिया गया। विभिन्न नोकरी, व्यवसायों के लिए भिन्न-भिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया गया जिससे कुशल व्यावसायिकों का निर्माण होगा।

शिक्षा प्रबंध

शिक्षा का नियोजन तथा कार्यवाही को उचित तरीके से लागू करने हेतु निम्न मुद्दों को ध्यान में रखा गया-

(1) आवश्यकता उपलब्ध मनुष्यबल तथा विकास का योग्य नियोजन।

(2) शिक्षा का विकेंद्रीकरण करना स्वायत्त संस्थाओं का निर्माण।

(3) महिलाओं का समावेश।

(4) सरकारी, अर्धसरकारी, निजी संस्था, केंद्र तथा राज्यशासन सभी का समावेश हो तथा जिम्मेदारियों का विभाजन किया जाए।

(5) ध्येय तथा नियमों को तैयार करने के निकष निश्चित किए जाएं।

शिक्षक की भूमिका

शिक्षकों को सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध हो इसलिए उच्च आदर्शों तथा मूल्यों का पालन कराया जाए। माध्यमिक स्तर पर अधिक गुणवत्ता का विकास करना। शिक्षक की भूमिका समाज में श्रेष्ठ तथा महत्त्वपूर्ण हो।

(c) राममूर्ति पुनरावलोकन समिती-1992
(Rammurthy Review Committe-1992)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुनरावलोकन करने के उद्देश्य से 1990 में एक समिति गठित की गई। इस समिति के अध्यक्ष आचार्य राममूर्ति थे इसलिए इसे राममूर्ति समिती कहा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पंचवर्षिय योजना में शिक्षा का मूल्यांकन करना निश्चित हुआ था। अतः 1992 में इस नीति का पुनरावलोकन तथा मूल्यांकन कर कुछ परिवर्तन किए गए। तथा तैयार रिपोर्ट संसद के सदनों में रखी गयी जिसके प्रमुख मुद्दे निम्न प्रकार थे-

- समानता एवं न्याय
- शिक्षा का विकेंद्रीकरण
- पाठ्यक्रम में मूल्यों का समावेश
- समावेशक शिक्षा प्रबंध
- कार्यप्रणाली को गतिमान करना

राममूर्ति समिति की सिफारिशें

राममूर्ति पुनरावलोकन समिति के अहवाल में तीन अलग स्तरों पर सिफारिशें की गई है।

(1) शिक्षा की भूमिका तथा उद्देश्य

(2) प्रमुख सिफारिशें

(3) स्त्री शिक्षा

(1) शिक्षा की भूमिका तथा उद्देश्यों के विषय में सिफारिशें

- **कौशल प्राप्त करने की व्यवस्था :** छात्र प्रत्येक कृति तथा निरीक्षण द्वारा विभिन्न कौशलों को आत्मसात करे ऐसी शिक्षा पद्धति हो। गणित, सामाजिक व्यवहार, संप्रेषण, आदि कुशलताओं का समावेश पाठ्यक्रम में हो। छात्र अपने भावी जीवन में इन कौशलों का उपयोग कर व्यवसाय करने के लिए तैयार होना चाहिए।

- **वातावरण निर्मिती :** शिक्षा देने से पूर्व छात्रों के लिए उत्साही, आनंददायी, सहज, अनौपचारिक वातावरण की निर्मिती की जाए साथ ही शिक्षा द्वारा नैतिक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय मूल्यों का विकास छात्रों में किया जाए।

- **तकनीकी एवं विज्ञान :** विज्ञान तथा तकनीकी की शिक्षा छात्रों को दी जाए इससे उनका बौद्धिक, सृजनात्मक विकास होता है। वर्तमान शिक्षा का आधार ही तकनीकी और विज्ञान है।

(2) प्रमुख सिफारिशें

- **व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध :** स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया जाए। यह सभी छात्रों के लिए समान न्याय की दृष्टि से हितकर होनी चाहिए।

- **समान शैक्षणिक व्यवस्था :** स्कूल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु सरकारी, स्थानिक स्वायत्त संस्था, अनुदानित स्कूलों का शिक्षण स्तर बढ़ाया जाए तथा इनका रूपांतरण निजी स्कूलों में किया जाए।

- **असमानता को दूर करना :** शिक्षा में व्याप्त असमानता दूर की जाए। शिक्षा से वंचित अनुसूचित जाति, जनजाति, स्त्री वर्ग, आर्थिक दुर्बल, अल्पसंख्यक, अपंग इनकी शिक्षा के लिए प्रभावी रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए।

- **परीक्षा पद्धति में सुधार :** छात्र के प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन करना केवल परीक्षा पद्धति का उद्देश्य नहीं है बल्कि इसके द्वारा पाठ्यक्रम, अध्यापन पद्धति, शिक्षक इन घटकों का भी मूल्यांकन होता है। अतः मूल्यांकन पद्धति वैध तथा विश्वसनीय होनी चाहिए।

- **शिक्षा का विकेंद्रीकरण :** देश की विविधता तथा क्षेत्रफल को देखते हुए केंद्र से राज्य, जिला, तहसील तथा ग्रामपंचायत तक शिक्षा का विकेंद्रीकरण होना चाहिए।

(3) स्त्री शिक्षा के लिए सिफारिशे

- प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक 50 प्रतिशत नियुक्ति स्त्री शिक्षिकाओं की होनी चाहिए।
- शिक्षिका को स्कूल के पास निवास की सुविधा प्रदान करे।
- महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंध करे।
- व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करे।
- शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की नियुक्ति होनी चाहिए।

Unit 6

उभरती प्रवत्तियां (उदयोन्मुख प्रवाह)

(Imerging Trends)

(A) उपनिवेशिक शिक्षा (1835-1947)

(Colonial Education)

भारत में अंग्रेजों के साथ अन्य परकीय संताओं ने उपनिवेश बनाये हुए थे। भारत में विदेशी कंपनियों का वर्चस्व था। हिंदू तथा मुस्लिमों के लिए उनकी अलग-अलग संस्कृति तथा साहित्य की शिक्षा स्कूलों में दी जाती थी। इन स्कूलों को वनीकुलर स्कूल कहा जाता था। अंग्रेजो ने भारत में मिशनरी स्कूलों की स्थापना की इसका प्रभाव भारतीय स्कूलों पर पड़ा। उनकी शिक्षा पद्धति में थोड़ा परिवर्तन किया गया जिनमें वाचन, लेखन, हिसाब-किताब करना सिखाया जाने लगा। मिश्नरी स्कूलों का प्रमुख उद्देश्य धर्मप्रचार, पाश्चात्य शिक्षा तथा सामाजिक स्तर में विकास करना था।

चार्टर एक्ट-1813 (Charter Act of 1813)

चार्टर एक्ट में कानून की धारा 43 के अनुसार भारतीयों की शिक्षा का दायित्व कंपनी को सौंपा गया था। तथा इसका खर्च कंपनी उठाएगी यह तय हुआ। इस एक्ट में कानून, साहित्य, विद्वान इन शब्दों का प्रयोग किया था जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं था। इसलिए इनके अर्थ में मतभेद हो गए पूर्वी और पश्चिमी ऐसे दो गुट तैयार हुए। इस मतभेद को पूर्वी तथा पाश्चात्य मतभेद कहा जाता है।

उदाहरणस्वरूप साहित्य शब्द का अर्थ संस्कृत साहित्य तथा अरब साहित्य होता है यह भारतीयों का मत था। इसलिए कंपनी संस्कृत स्कूल तथा मदरसों का खर्च उठाए यह उनका विचार था। उन्होंने धारा 43 में उल्लेखित शब्द विद्वान का अर्थ संस्कृत के विद्वान लगाया।

पश्चिमी समूह के अनुसार साहित्य अर्थात अंग्रेजी साहित्य इसलिए अंग्रेजी स्कूलों का खर्च कंपनी उठाए। विद्वान अर्थात अंग्रेजी के विद्वान। इस प्रकार मतभेद होता रहा। सरकारने केवल प्रेक्षक की तरह रहकर 10 वर्ष तक इसी वाद को चलने दिया।

लॉर्ड मेकॉले का घोषणापत्र (Lord Macaulay's Minutes)

लॉर्ड मेकॉले गर्वनर जनरल कौन्सिल का कानूनी सलाहकार था। वह भारत आया तब पूर्वी तथा पश्चिमी वाद चल रहा था। गर्वनर जनरल लॉर्ड बेटीक ने मेकॉले को लोकशिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। तथा धारा 43 में किए विधान का स्पष्टीकरण एवं सलाह माँगी। मेकॉले ने सभी के विचार समझकर लॉर्ड बेटिक को यह परामर्श दिया-

- चार्टर एक्ट की धारा 43 के तहत सरकार को वार्षिक शिक्षा के लिए लाख रुपये कहा एवं कैसे खर्च करने है यह सरकार तय करेगी।

- साहित्य में संस्कृत, अरब तथा अंग्रेजी तीनों का समावेश होता है।
- विद्वान केवल संस्कृत पंडित था मुस्लिम मौलवी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी के विद्वान का भी उसमे समावेश होता है।

मेकॉले ने भारतीय भाषा तथा अंग्रेजी भाषा में शिक्षा संबंधी यह विचार दिए-

- अंग्रेजी भाषा संस्कृत तथा अरब से अधिक उपयुक्त है इससे ज्ञान का विस्तार होता है।
- भारतीय राजकर्ताओं की भाषा अंग्रेजी है तथा उच्च वर्ग में उसका उपयोग होता है। विदेशी व्यापार के लिए भी अंग्रेजी महत्त्वपूर्ण है।
- भारतीय नयी भाषा (अंग्रेजी) सीखने के लिए अधिक उत्सुक है।
- भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उनकी प्रगति की जाय।
- जिस प्रकार युरोपियन देशों की क्रांति अंग्रेजी के कारण हुई उसी तरह भारत का पुनर्जीवन करने के लिए अंग्रेजी महत्त्वपूण है।

पाझर सिद्धांत

भारतीय शिक्षा की क्रांति में पाझर सिद्धांत अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा। इस सिद्धांत के अनुसार "जॉन का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर के लोगों तक धीरे-धीरे बहता रहता है। उसके लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती।" इस सिद्धांत का समर्थन मेकॉले, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा मिशनरी ने किया।

पाझर सिद्धांत की स्विकृति के कारण

- ईस्ट इंडिया कंपनी का दृष्टिकोण व्यावसायिक था। इसके लिए सुशिक्षित मजदूरों की उन्हें जरूरत थी।
- भारतीयों की शिक्षा पर अतिरिक्त खर्च करने की मानसिकता नहीं थी।
- ब्रिटीश सरकार के प्रशासन में नोकरी करनी हो तो अंग्रेजी शिक्षा जरूरी है इससे भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे।
- उच्च वर्ग निम्न वर्ग के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दे सकते है।

मेकॉले के घोषणापत्र के लाभ (Merits)

- अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना भारत में हुई।
- भारतीय शिक्षा पद्धति की नई रूपरेखा तैयार हुई।
- शिक्षा में अंग्रजी का महत्त्व बढ़ता गया।
- पाश्चात्य साहित्य तथा कला का प्रभाव भारतीयों पर पड़ा।
- पाझर सिद्धांत को प्रसिद्धि मिली।
- भारत को पाश्चात्य ज्ञान का परिचय होने लगा।
- भारत में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, राष्ट्रभक्ति आदि मूल्यों का उदय हुआ इससें सामाजिक तथा राजनैतिक जागरूकता आई।

मेकॉले के घोषणापत्र के दोष (Demerits)

- भारतीय भाषा तथा साहित्य का महत्त्व कम होने लगा।

- लोग अंग्रेजी की ओर आकर्षित होकर उनमें संस्कृत तथा अरबी के प्रति अरूचि निर्माण होने लगी।
- मदरसे तथा संस्कृत पाठशालाओं का ह्रास होने लगा।
- पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीयों पर अधिक पड़ा।

वुड्स की नीति-1854 (Wood's Despatch)

भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ। मिशनरी स्कूल स्थापन हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार 20 वर्ष के बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन करना आवश्यक था। अतः उस समय के संचालक चार्ल्स वूड्स को इसका अहवाल तैयार करना था। इसलिए इस नीति को वूड्स नीति कहा गया।

यह नीति इतिहास में 'मैग्ना कार्टा' के नाम से भी जानी जाती है।

वूड्स की नीति की सिफारिशें

- पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का समावेश हो अंग्रेजी की तरह पाठ्यक्रम में संस्कृत, अरबी तथा फारसी का समावेश हो। पाश्चात्य साहित्य तथा विज्ञान का अध्ययन भारतीयों के लिए उपयोगी साबित होगा।
- **महाविद्यालयों की स्थापना-** महाविद्यालयों की स्थापना कर उन्हें आपस में जोड़ा जाए।
- **शिक्षा के माध्यम में लचीलापन-** शिक्षा किस भाषा में ग्रहण करनी है इसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- **शिक्षा की संरचना-** शिक्षा के आकृतिबंध में प्राथमिक स्तर से महाविद्यालय तक क्रमबद्ध रचना की जाए।
- **लंदन विश्वविद्यालय की स्थापना-** भारत में उच्च शिक्षा के लिए मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन महानगरों में लंदन युनिवर्सिटी की स्थापना की जाए।
- **अनुदान की व्यवस्था-** शिक्षक वेतन, प्रयोगकक्ष, ग्रंथालय इमारत आदि के लिए अनुदान का प्रबंध किया जाए।
- **व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध-** वूड्स ने व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता को समझते हुए व्यावसायिक शिक्षा के लिए विशेष स्कूल तथा महाविद्यालयों की स्थापना करने की सिफारिश की।
- **शिक्षक प्रशिक्षण-** शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु भारत में प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाए।
- **साहित्य निर्मिती (Literature)-** पाश्चात्य साहित्य का अनुवाद भारतीय भाषा में करने हेतु लेखकों को प्रोत्साहन दिया जाए।
- **नोकरी उपलब्ध करना-** शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता के अनुसार उन्हें नोकरी में स्थान दिया जाए। अंग्रेजी एवं पाश्चात्य साहित्य में प्रवीण व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए।

वूड्स की नीति के लाभ/गुण (Merits)

(1) भारतीय शिक्षा का विचार- भारतीयों की शिक्षा का पूर्णतः विचार इसमें किया गया इसलिए यह नीति उपयोगी थी।

(2) सभी वर्गों के लिए- वूड्स के अहवाल में समाज के उच्च तथा निम्न दोनों स्तरों का विचार किया गया।

(3) भारतीय भाषाओं को महत्त्व- वूड्स ने अंग्रेजी के समान भारतीय भाषाओं को भी शिक्षा में स्थान दिया।

(4) छात्रवृत्ति- आर्थिक, दुर्बल प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की सिफारिश की गई।

(5) अनुदान- शिक्षा के खर्च में सहायता हेतु सरकार द्वारा अनुदान मंजूर किया गया।

(6) महिलाओं को शिक्षा- इस नीति में महिलाओं की शिक्षा का विचार किया गया जो भारत की क्रांति में महत्त्वपूर्ण मुद्दा था।

(7) प्रशिक्षण- शिक्षकों की कुशलता में वृद्धि हेतु शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण किया गया।

(8) साहित्य का विकास- अंग्रेजी के साथ-साथ भारतीय साहित्य को शिक्षा में स्थान दिया जिससे साहित्य का विकास हुआ।

(9) व्यावसायिक शिक्षा- व्यावसायिक शिक्षा को समय की मांग समझते हुए विशेष स्कूल तथा महाविद्यालयों की स्थापना की गई।

वूड्स की नीति की मर्यादा (Demerits)

(1) शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण नहीं- इस नीति द्वारा केवल उच्च वर्ग को ही लाभ हुआ। शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण का विशेष प्रयास नहीं हुआ।

(2) परीक्षा पद्धति को महत्त्व- परीक्षा को महत्त्व देने के कारण छात्र केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने को ही महत्त्व देने लगे।

(3) अंग्रेजी तथा भारतीयों में भेद- अंग्रेजी को शिक्षा में अधिक महत्त्व दिए जाने के कारण केवल अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त छात्रों को नौकरी में स्थान दिया गया।

(4) शिक्षा का व्यावसायीकरण- सरकारी ने नौकरी की लालच देकर छात्रों को मूल्य तथा नैतिकता से विमुख कर दिया। अतः शिक्षा केवल व्यापार बन गई।

(5) भारतीय स्कूलों का ह्रास- अंग्रेजी स्कूलों के कारण भारतीय स्कूलों का महत्त्व कम होता गया। साथ ही उन स्कूलों को सुविधा तथा अनुदान प्राप्त नहीं होता था।

(6) पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव- भारतीय शिक्षा पद्धति पर पाश्चात्य पद्धति हावी हो गई तथा भारतीय पाश्चात्य ज्ञान की ओर आकर्षित होते गये।

भारतीय शिक्षा नीति-1884 (हंटर आयोग)

1884 में नयी शिक्षा नीति लागू की गई। इस आयोग के अध्यक्ष हंटर थे इसलिए इसे हंटर आयोग कहा जाता है। इस आयोग के सदस्य टैगोर, घोस, मुदलियार आदि थे। इस प्रकार इस आयोग में भारतीय प्रतिनिधी भी शामिल थे।

हंटर आयोग की सिफारिशे

(1) प्राथमिक स्तर

- शिक्षा की नीति- इस नीति का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का प्रचार करना था। शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो तथा शिक्षा व्यावहारिक जीवन से संबंधित हो यह विचार रखे गये। दुर्बल तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए शिक्षा द्वारा प्रयास होने चाहिए।
- पाठ्यक्रम- पाठ्यक्रम की संरचना राज्य स्तर पर हो जिससे प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकता, परंपरा इनका विचार करने के लिए स्वतंत्र हो। पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान कृषि, स्वास्थ्य जैसे जीवनावश्यक विषयों को स्थान दिया जाए।

- **शिक्षण प्रशिक्षण-** शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इसके लिए प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाय। प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिए निरीक्षक तथा प्रशासक की नियुक्ति की जाए।

- **आर्थिक अनुदान-** प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु विभिन्न स्तरों पर आर्थिक सुविधा दी जाए जैसे नगरपालिका, जिला परिषद इन स्तरों पर निधि की व्यवस्था की जाए साथ ही राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त होना चाहिए।

- **नियंत्रण-** भारतीय शिक्षा के प्रशासन, नियंत्रण तथा प्रबंध का दायित्व नगरपालिका एवं जिला परिषद (जैसी स्थानिक संस्थाओं) को सौंपा जाए।

(2) माध्यमिक स्तर

- **माध्यमिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण-** माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी भारतीय शिक्षा विशेषज्ञों को दी जाए। अनुदान पद्धति की सहायता मिले। प्रत्येक जिले में माध्यमिक स्कूल की स्थापना की जाय। निजी संस्थाओं की स्कूलों में फीस दर कम हो।

- **पाठ्यक्रम-** पाठ्यक्रम को दो भागों में बाँटा जाए-

(i) Course A- जिन छात्रों को उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रवेश लेना है उनके लिए।

(ii) Course B- व्यावसायिक शिक्षा लेने के लिए इस भाग का चुनाव किया जाएगा।

- **शिक्षक प्रशिक्षण-** स्नातक (पदवीधर) शिक्षकों के प्रशिक्षण की समय सीमा उनसे कम शिक्षा प्राप्त शिक्षकों से कम रहेगी। प्रशिक्षण में प्रायोगिक पद्धति को स्थान दिया जाय।

- शिक्षा का माध्यम- मातृभाषा को स्थान दिया जाए। अंग्रेजी भाषा का भी पाठ्यक्रम में समावेश किया जाए।

(3) उच्च शिक्षा

- **पाठ्यक्रम में विविधता-** छात्र अपनी रूचि के अनुसार विषयों का चुनाव कर सके इसलिए पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का समावेश हो।

- **छात्रवृत्ति-** प्रतिभाशाली तथा आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो इसलिए छात्रवृत्ति की योजना की जाए।

- **अनुदान-** इमारत, ग्रंथालय, प्रयोगकक्ष तथा शैक्षणिक सामग्री के लिए विशेष अनुदान का प्रबंध सरकार द्वारा किया जाए।

- **मूल्यों को स्थान-** पाठ्यक्रम में नैतिक तथा मानवीय मूल्यों को स्थान दिया जाए। इसके लिए पोषक वातावरण का निर्माण किया जाए।

- **शिक्षक नियुक्ति-** युरोपियन शिक्षा प्राप्त शिक्षकों, को उच्च शिक्षा में प्राथमिकता दी जाए।

- **लड़कियों के लिए शिक्षा-** लड़कियों के लिए स्वतंत्र स्कूलों तथा महाविद्यालयों की स्थापना की जाए।

हंटर आयोग के लाभ या गुण (Merits)

- हंटर आयोग ने शिक्षा पद्धति का भारतीयों की आवश्यकताओं के अनुसार विचार किया।
- माध्यमिक शिक्षा में निजी संस्था द्वारा संचालित स्कूलों को महत्त्व दिया।
- मिशनरी स्कूलों को स्थान नहीं दिया।

- स्त्रियों, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, आदिवासी आदि समाज के पिछड़े वर्गों को भी शिक्षा का अवसर प्राप्त कराया।
- व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया।
- पाठ्यक्रम में कृषि, स्वास्थ्य जैसे जीवनावश्यक विषयों को स्थान दिया।

हंटर आयोग की सीमाएं (Demerits)

- शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से मातृभाषा दूसरे स्थान पर रही।
- निजी स्कूलों में प्रवेश शुल्क अधिक रखा गया।
- स्थानिक संस्थाओं पर शिक्षा का दायित्व देने से अधिक विकास नहीं हो पाया।
- छात्रवृत्ति के लिए केवल परीक्षा के अंकों का महत्त्व था इसलिए शिक्षा से ज्यादा परीक्षा को महत्त्व दिया जाने लगा।
- उच्च शिक्षा स्तर पर तकनीकी, उद्योग आदि का विचार नहीं हुआ।
- मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र स्कूल स्थापित करने से धार्मिक कलह का बीजारोपण हुआ।
- निजी संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई।

(B) वैश्विकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण
(Globalization, Liberalization & Privatization-Implications for Education)

अर्थ/संकल्पना

वैश्विकरण (Globalization)

वैश्विकरण से तात्पर्य है "विश्वभर के किसी भी व्यापारी अथवा व्यवसायी व्यक्ति को विश्व में कहीं भी, कभी भी, किसी भी उत्पाद अथवा वस्तु का उपयोग करने की स्वतंत्रता।" इस प्रकार वैश्विकरण के कारण ही हम अनेक साधन सुविधाओं का उपभोग करते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा को भी स्थान है। वैश्विकरण के कारण आज हम नयी शिक्षा नीतियां, अध्यापन पद्धतियां, अनुसंधान, नए विचार आदि का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।

उदारीकरण (Liberalization)

वैश्विकरण का फल ही उदारीकरण है। उदारीकरण का अर्थ है, "जीवन को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा जिन कानून तथा नियमों को लागू किया जाता है उनमें लचीलापन होना।" इससे व्यक्ति के विकास, स्वतंत्रता के साथ सार्वजनिक विकास में पाबंदी को कम कर भरपूर अवसर प्रदान किया जाता है। उदारीकरण के कारण अवसर, ज्ञान, विचार, कृति, उत्पादन, नए अनुसंधान आदि का लाभ पूरे विश्व को मिलता है।

निजीकरण (Privatization)

वैश्विकरण तथा उदारीकरण के बाद निजीकरण यह विचारधारा निर्मित हुई। शिक्षा के निजीकरण में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिक विस्तार हुआ। इसका कारण उच्च शिक्षा के लिए प्राप्त अनुदान को विश्व बैंक की सिफारिश के अनुसार 90 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक लाने का निश्चय किया गया। इसलिए उच्च शिक्षा का निजीकरण ही एकमेव उपाय लाभदायक रहा।

शैक्षणिक महत्त्व (Education Implications)

- स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों का निजीकरण किया जाता है।

- शिक्षा के लिए सरकारी निवेश की आवश्यकता नहीं।-
- गुणवत्ता विकास (Quality Improvement) पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना होती है।
- नए प्रवाह, नई नीतियों का प्रभाव शिक्षा पद्धति के साथ पाठ्यक्रम पर पड़ता है।
- शैक्षणिक संस्थाओं में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं।
- शिक्षा का आयात-निर्यात (Import-Export) होता है।
- छात्रों का विदेश में शिक्षा ग्रहण करना तथा विदेशी छात्रों का भारत में आवगमन होता है।
- सूचना व संप्रेषण तकनीकी का अधिक उपयोग होता है।
- बौद्धिक संपत्ति की वृद्धि होती है।
- नए स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों का निर्माण होता है।
- शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा डोनेशन, प्रवेश शुल्क तथा अन्य शुल्क (Fees) लिए जाते हैं।
- विदेश में प्रत्यक्ष निवेश किया जाता है।

Challenges of linguistic diver

unit 1-b

(11) Contemporaty

भाषाई विविधता की चुनौतियाँ

1. बढ़ता हुआ क्षेत्रवाद और पारिजातवाद:

विभिन्न भाषाई समूहों के लोग किसी विशेष राज्य से संबंधित केवल अपने राज्यों के हितों के बारे में सोचते हैं। इस राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में विवादास्पद भावनाओं और विचार को कमजोर करता है।

2. क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का गठन:

भाषावाद ने क्षेत्रीयता को जन्म दिया है अंततः कुछ राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का गठन हुआ। इनमें से कुछ पार्टियों ने भी सरकार बनाई है। सत्ता में रहने वाले ऐसे राजनीतिक दल उलझते चले जाते हैं केंद्र-राज्य संबंध।

3. भाषाई अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न:

भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा राज्यों में मौजूदा राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा प्रदान किया गया है। हालाँकि वास्तव में, विभिन्न राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। नतीजतन परेशान करने वाले रुझान और कुछ जटिलताएं विकसित हुई हैं जो एकता को खतरा पैदा करती हैं देश का।

4. अलग राज्यों की मांग:

राजनेताओं के स्वार्थी उद्देश्यों के कारण भाषाई टकराव होते हैं जगह। ये राजनेता अपने लाभ के लिए अल्पसंख्यकों को विभाजन के लिए उकसाते हैं भाषाई लाइनों के साथ राज्यों। अलग राज्य के लिए ये मांगें समस्याओं को पैदा करती हैं केंद्र और साथ ही संबंधित राज्य।

Scanned by CamScanner

3. भाषाई अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न:

भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा राज्यों में मौजूदा राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा प्रदान किया गया है। हालाँकि वास्तव में, विभिन्न राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। नतीजतन परेशान करने वाले रुझान और कुछ जटिलताएं विकसित हुई हैं जो एकता को खतरा पैदा करती हैं देश का।

4. अलग राज्यों की मांग:

राजनेताओं के स्वार्थी उद्देश्यों के कारण भाषाई टकराव होते हैं जगह। ये राजनेता अपने लाभ के लिए अल्पसंख्यकों को विभाजन के लिए उकसाते हैं भाषाई लाइनों के साथ राज्यों। अलग राज्य के लिए ये मांगें समस्याओं को पैदा करती हैं केंद्र और साथ ही संबंधित राज्य।

5. राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा:

राष्ट्रीय एकीकरण की भावना के कारण मिट जाता है क्षेत्रीय और भाषाई वफादारी। देश की संप्रभुता को कटाव का खतरा है राष्ट्रीय भावना का।

6. अंतर्राज्यीय सीमा विवाद:

सीमावर्ती क्षेत्रों में जो द्विभाषी होते हैं, भाषा समस्याओं ने तनाव पैदा कर दिया है।
उदाहरण के लिए--- गोवा के लोगों के आधार पर विभाजित हैं कोंकणी और मराठी भाषा।

Last modified: 13:33

Scanned by CamScanner

Unit-Ic

Challenges of Regional diversi

क्षेत्रवाद की चुनौतियाँ-------

1. राष्ट्रीय एकीकरण का अभाव:

एक ही क्षेत्र के लोग एक-दूसरे से चिपके रहते हैं। वे देश के बजाय अपने क्षेत्र या राज्य को वरीयता देते हैं। वे अधिक देते हैं उनके राष्ट्र की तुलना में क्षेत्र के लिए महत्व। उदाहरण के लिए, उत्तर भारतीय इससे प्रभावित हैं सभी दक्षिण भारतीयों के खिलाफ क्षेत्रीय पूर्वाग्रह।

2. यह देश की प्रगति में बाधा डालता है:

क्षेत्रवाद के कारण क्षेत्रों में अशांति है। नहीं संचार होता है। कोई व्यापार लेनदेन नहीं है जिसके परिणामस्वरूप कमी हुई है संसाधन (आदमी और सामग्री), देश की प्रगति में बाधा।

3. अंतर-राज्य प्रतिद्वंद्विता प्रतियोगिता:

उन मामलों में जहां पानी, बिजली और का हिस्सा है राज्य और केंद्रीय परियोजनाओं का स्थान संबंधित राज्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता है। इसी तरह, कुछ क्षेत्रों को तरजीही उपचार दिया जाता है जब इसके आवंटन की बात आती है विकास के लिए धन। उदाहरण के लिए, प्रत्येक रेल मंत्री ट्रेन में सुधार करना चाहता है अपने स्वयं के क्षेत्र में सेवा।

4. मृदा आंदोलन का पुत्र:

किसी विशेष क्षेत्र के लोगों का अधिकार है राज्य के हर विशेषाधिकार का दावा करें। यह स्थानीय के लिए अधिमान्य उपचार की मांग कर रहा है निवासियों को सभी बाहरी लोगों के बहिष्कार के बिंदु पर। उदाहरण के लिए बिहारियों के

Scanned by CamScanner

4. मृदा आंदोलन का पुत्र:

किसी विशेष क्षेत्र के लोगों का अधिकार है राज्य के हर विशेषाधिकार का दावा करें। यह स्थानीय के लिए अधिमान्य उपचार की मांग कर रहा है निवासियों को सभी बाहरी लोगों के अधिकार के विरुद्ध। उदाहरण के लिए, बिहारियों के खिलाफ असमिया, बिहारियों के खिलाफ शिवसेना।

5. सामाजिक विघटन:

सामाजिक मूल्य बिगड़ते हैं, लोग मेल नहीं खाते और सामाजिककरण करते हैं जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक विघटन हुआ।

6. राष्ट्र में आंतरिक सुरक्षा की समस्या:

उदाहरण, सिखों द्वारा खालिस्तान आंदोलन
वर्षों पहले अपनी खुद की एक अलग राज्य की मांग की।

7. अविश्वास और संदेह:

यह असुरक्षा, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध और अंततः नेतृत्व करता है हिंसा जो जीवन और संपत्ति के विनाश की ओर ले जाती है। कुछ अन्य प्रभाव हैं —

क्षेत्रीय पक्षपात सामाजिक प्रगति को रोकते हैं, भाई-भतीजावाद को जन्म देते हैं, क्षेत्रीय सामाजिक जीवन, आवास, विवाह, सामाजिक संपर्क और संकीर्ण समूह निष्ठाओं में पक्षपात

Last modified: 13:39

Scanned by CamScanner

Challenges of Religiou diversi

unit 1 C

धार्मिक विविधता की चुनौतियां (सांप्रदायिकता)

1. सांप्रदायिक दंगे भारी विनाश, बेरोजगारी में वृद्धि, तीव्र गरीबी, विभिन्न समुदायों, गरीबी, मलिन बस्तियों आदि का अलगाव अल्पसंख्यक समूहों को भुगतना पड़ता है काफी; नुकसान शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक सामाजिक और इसलिए अपूरणीय हैं। यह देश के संसाधनों को समाप्त कर देता है और इसे अपंग कर देता है।

2. धार्मिक विविधता से सांप्रदायिक हिंसा और दंगे होते हैं। इससे जीवन का विघटन भी होता है और संपत्ति। यह बदले में व्यक्तिगत और सामाजिक अव्यवस्था का कारण बनता है और अंततः राष्ट्रीय एकता को खतरा। पास और प्रिय खो गए हैं। लोग कानून में विश्वास खो देते हैं और विभिन्न समुदाय के मित्र में भी आदेश और विश्वास।

3. धार्मिक विविधता पीड़ितों के मन में भय, संदेह, घृणा, असुरक्षा का कारण बनती है। सांप्रदायिक दंगे भारी विनाश, बेरोजगारी, तीव्र गरीबी और को बढ़ावा देते हैं विभिन्न समुदायों का अलगाव।

4. धार्मिक विविधता गरीब वर्गों, मलिन बस्तियों और अल्पसंख्यक समूहों को काफी प्रभावित करती है। यह भी विधवाओं, अनाथों का उत्पादन करती है, जो बेघर और निराश्रित हैं।

5. धार्मिक विविधता देश के संसाधनों को समाप्त कर देती है और अर्थव्यवस्था को पंगु बना देती है देश। धार्मिक विविधता राष्ट्र को अलग करने और विखंडन की ओर ले जाती है ऐसे हिस्से जिन्हें कभी एक साथ नहीं रखा जा सकता है।

Scanned by CamScanner

शिक्षा की भूमिका:

भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधता
शिक्षा एक आम एकीकरण कारक है जो विभाजन के कारकों में बदलाव ला सकता है
बड़े पैमाने पर देश। यह देश में हर जगह उपलब्ध कराया जा रहा है और इस प्रकार हो सकता है
हमारे देश की एकता को मजबूत करने और एकजुट करने के लिए उपयोग किया जाता है। शिक्षा निम्नलिखित में मदद कर सकती है

तरीके:
(1) राष्ट्रभाषा का प्रचार:

एक राष्ट्रीय भाषा होने की स्थिति में और साहित्य, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों को प्रत्येक के संपर्क में आना होगा इस राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से अन्य। इस प्रकार उनके बीच तनाव विद्यमान है समझदारी से कम किया जाएगा।

(2)Languages सभी प्रमुख भाषाओं को प्रोत्साहन:

एक आम के विकास के साथ राष्ट्रीय भाषा और साहित्य, मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नहीं किसी भी क्षेत्र में भाषा को मजबूर किया जा सकता है और न ही भाषा को विकसित किया जा सकता है इस पर तनाव। भाषा उपयोग के माध्यम से विकसित होती है। सरकार को चाहिए सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करें। सरकार को यह देखना चाहिए कि पंजाबी पंजाब में विकसित किया जाता है, बंगाल में बंगाली और इतने पर। इसके अतिरिक्त हिंदी कौन सी होनी चाहिए देश के सभी हिस्सों में प्रचारित किया गया। सभी भाषाओं, सभी के गीतों के लिए सम्मान भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिए. हिंदी दिवस जैसे दिन मनाए जाने चाहिए।

Scanned by CamScanner

(3) शिक्षा में त्रिभाषा नीति:

कोठारी द्वारा 3 भाषा सूत्र दिया जाता है आयोग जो पहले की नीति का संशोधित और संशोधित रूप है। यह बराबरी करता है भाषा का बोझ और सीखने के माध्यम से प्रत्येक नागरिक में भारतीय पहचान को भी विकसित करता है एक आम भाषा में और इसे सभी राज्यों ने अपनाया है।

(a) मातृभाषा / क्षेत्रीय भाषा
(b) आधिकारिक भारतीय भाषा या आधिकारिक भारतीय भाषाएँ
(c) आधुनिक भारतीय भाषा या पश्चिमी भाषा (a) या (b) में शामिल नहीं है।

(4) पाठ्यक्रम का पुनर्गठन:

स्कूलों के पाठ्यक्रम को आधार पर आयोजित किया जाना चाहिए आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए।

(ए) प्राथमिक स्तर:
की कहानियों को बताते हुए राष्ट्रीय गीत गाने पर महत्व दिया जाना चाहिए महापुरुष, प्रार्थना सभा, लोक-गीत, देशभक्ति के गीत और सामाजिक अध्ययन। एक एहसास राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(बी) माध्यमिक स्तर:
प्राथमिकता नैतिक और नैतिक शिक्षा को दी जानी चाहिए, भाषाओं और साहित्य का ज्ञान, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के साथ-साथ सामाजिक अध्ययन। राष्ट्रीय गौरव को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए:

(ग) विश्वविद्यालय स्तर:
विभिन्न सामाजिक विज्ञानों पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए, साहित्य, भाषा, संस्कृति और कला। एकता और राष्ट्रीयता की अवधारणा होनी चाहिए प्रबलित।

Scanned by CamScanner

Unit2 (A) unit-2A

"सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ"

सामाजिक स्तरीकरण एक सामाजिक व्यवस्था या वर्गों में व्यवस्थित होने की स्थिति है
समूह।
दूसरे शब्दों में, यह एक प्रणाली है जिसके द्वारा एक समाज लोगों को विभाजित करता है और उन्हें रैंक करता है श्रेणियाँ। इन श्रेणियों को फिर एक पदानुक्रम में रखा गया है। यह एक पिरामिड द्वारा दिखाया गया है जहां सबसे भाग्यशाली लोगों को सबसे ऊपरी स्तर पर रखा जाता है। स्तरीकरण हर समाज का लक्षण है
दुनिया के हर हिस्से में। यह आज का मुद्दा नहीं है बल्कि पीढ़ियों से कायम है।

1-ऑगबर्न और निमकॉफ: यह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों को कम या ज्यादा में रैंक किया जाता है
स्थायी पदानुक्रम की स्थिति स्तरीकरण के रूप में जानी जाती है

2-गिरबर्ट: सोशल स्तरीकरण समाज का विभाजन श्रेणियों के स्थायी समूहों में है

श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है।

(भारतीय समाज में स्तरीकरण)

एक भारतीय समाज में स्तरीकरण शिलालेख पर आधारित है। इसका मतलब है कि यह एक प्रकार की संस्कृति है उपलब्धि के आधार पर नहीं। यह लिंग, आर्थिक के आधार पर असमानता को शामिल कर सकता है

Scanned by CamScanner

केंद्रित है। तथा
सबसे ऊपरी तबके पर कब्जा करने वाले हमेशा कानून को
नियंत्रित करके ऊपर की गतिशीलता को प्रतिबंधित करने
का प्रयास करते हैं
उनके धन और प्रभाव वाले अधिकारी।
जोसेफ ए। शम्पटर, रिचर्ड स्वेडबर्ग ने अपनी पुस्तक
"पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र" में,
एक स्तरीकरण मुक्त समाज के लिए कार्ल मार्क्स की दृष्टि
को समझाया है जहां मौजूद होगा
अमीरी और वर्ग के आधार पर कोई असमानता नहीं।
लेकिन वर्ग संघर्ष इतना मजबूत था कि केवल
परिणामस्वरूप समाज का पुनर्निर्माण हुआ। स्तरीकरण
पदानुक्रम बस फिर से संरचित था
लेकिन कभी खत्म नहीं हुआ। धन अभी भी पदानुक्रम
पिरामिड के शीर्ष पर केंद्रित रहा,
सफेदपोशों की नौकरी श्रमिकों को कम ही मिलती है और
गरीब तब भी निचले पायदान पर बने हुए हैं
संरचना।
1) जाति के आधार पर स्तरीकरण:)

जाति व्यवस्था के तहत स्थिति वंशानुगत है। यह जन्म पर
आधारित है, यह विशुद्ध रूप से एक निर्दिष्ट स्थिति है।
एक बार ऐसे पद सौंप दिए जाने के बाद, वे किसी भी
स्थिति में अपनी सामाजिक स्थिति को आगे नहीं बढ़ा सकते
हैं
मार्ग। इसलिए, एक मुख्य प्रकार के सामाजिक स्तरीकरण
के रूप में जाति ऊर्ध्वाधर सामाजिक सुविधा नहीं देती है
चलना फिरना।

#(जाति के कारण स्तरीकरण का प्रभाव):

कुछ जातियों के लिए अपमानजनक उपचार, केवल कुछ
वर्गों के लिए

Scanned by CamScanner

8
गार्ड। इसलिए, एक मुख्य प्रकार के सामाजिक स्तरीकरण के रूप में जाति ऊर्ध्वाधर सामाजिक सुविधा नहीं देती है चलना फिरना।

#(जाति के कारण स्तरीकरण का प्रभाव):

कुछ जातियों के लिए अपमानजनक उपहार, केवल कुछ वर्गों के लिए
प्रगति का मौका था, कम आत्मसम्मान, समाज में विभाजन
ने विदेशियों के लिए इसे आसान बना दिया
हमला, मानव संसाधनों का नुकसान।

2-(वर्ग के आधार पर स्तरीकरण)

क्लास एक isopen|| सिस्टम है। इस प्रणाली के तहत ऊर्ध्वाधर गतिशीलता बिल्कुल मुफ्त है। आंदोलन एक स्थिति से दूसरे में कोई अवरोध नहीं है। स्थिति उपलब्धि पर आधारित है। यह द्वारा निर्धारित किया जाता है व्यक्ति की प्रतिभा, धन, धन, बुद्धि, शक्ति, शिक्षा, आय आदि। कोई नहीं है
पैतृक स्थिति की विरासत।

#(वर्ग के कारण स्तरीकरण का प्रभाव:)

समाज को पाताल में बांटता है और न मानने वाला होता है अपराध, खराब स्वास्थ्य, अशिक्षा, वर्ग संघर्ष, प्रगति के लाभ कम, कम जीडीपी तक

Last modified: 6 May 2019

Scanned by CamScanner

3-(लिंग के आधार पर स्तरीकरण:)

लिंग, शायद सामाजिक भेदभाव का सबसे पुराना और
स्थायी स्रोत है। चौड़ी के भीतर
जाति और वर्ग का पदानुक्रम, जाति और वर्ग के लिंग में
कटौती। लिंग जैविक से परे चला जाता है
पुरुष और महिला के बीच अंतर। लिंग एक सामाजिक-
सांस्कृतिक निर्माण है और एक प्रदान करता है
पुरुष और महिला के बीच मौजूद असमानताओं का गहन
विश्लेषण। यह सामाजिक को संदर्भित करता है
यौन अंतर का संस्थागतकरण।

#(लिंग के कारण स्तरीकरण का प्रभाव)

रूढ़िबद्ध भूमिकाएं, महिलाओं की माध्यमिक स्थिति,
सीमाएं
राष्ट्रीय और सामाजिक प्रगति, लिंगानुपात लिखा है, तीसरे
लिंग की समस्याएं, के खिलाफ अपराध
महिलाओं।
क्षेत्रीय असमानता भी समाज का स्तरीकरण करती है। एक
भारतीय समाज में शहरी ग्रामीण विभाजन पाता है।
हमें आधुनिक सुख-सुविधाओं से संपन्न गाँव मिल सकते हैं
और हमें अत्यधिक जीव भी मिल सकती है
शहरी क्षेत्रों में गरीबी। इस प्रकार ग्रामीण शहरी असमानता
हमेशा धन के संबंध में नहीं होती है। सामान्य रूप में
हम शैक्षिक अवसरों, नौकरी के अवसरों, उपलब्ध
सुविधाओं, स्वास्थ्य में असमानता पाते हैं
सुविधाएं। ग्रामीण भारत में बहुत से शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य
देखभाल, स्वच्छता, भूमि और तक एहुंच का अभाव है
अन्य संपत्ति और से गरीबी में फंसे हुए हैं। ग्रामीण भारत में
शिशु की संख्या अधिक है
जन्म दर पर कम जीवन प्रत्याशा के साथ मृत्यु दर। 2011
की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता है

Scanned by CamScanner

Contemporary

(17) * Abhi ke Jaangadhna 1652 hai

1 unit f.Y.B.ed

Singh Komal Keshav Dr. Kamta Kamble

Write Test Unit - 1 -

Short (अ) भाषिक विविधता

1961 की जनगणना के अनुसार भारत मे 1652 भाषा बोली जाती थी लेकिन धीरे-धीरे ये भाषाऐं लुप्त (गायब) होती गयी और आज के समय में संविधानदवारा 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। जिसमे आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड, काश्मिरी, कोंकणी, मल्याळम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, तामिल, तलगू, उर्दू, सिंधी इ. भाषाओं का समावेश है। इन भाषाओं में से अधिकतर भाषा अलग-अलग राज्यों की राजभाषा है जैसे - महाराष्ट्र - मराठी.

भारत के संविधानदवारा हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला है। हिंदी के अलावा तेलगू भाषा भी अधिकतर लोग बोलते है। यह आंध्रप्रदेश की राजभाषा है। उत्तर भारत में बोली जानेवाली भाषा इंडो-आर्यन के नाम से जानी जाती है, तो दक्षिण भारत में बोली जाने-वाली भाषा द्रविड भाषा है (जैसे - तेलगू, तमिल, मल्याळम कन्नड)

आज के समय में हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अंग्रेजी को आंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में सम्मान मिला है। आज भारत में अंग्रेजी और अन्य 22 भाषाओं को मिलाकर 23 मुख्य भाषा मानी गयी है लेकिन कभी-कभी इन भाषाओं के कारण व्यक्ति-व्यक्ति में, राज्य-राज्य में संघर्ष निर्माण होते हैं, इसी को भाषावाद कहते हैं।

परिभाषा →

जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों में भाषा की श्रेष्ठता के लिए अथवा भाषा के कारण संघर्ष निर्माण होता है, उसे भाषावाद कहते हैं। जैसे - दक्षिण भारत के लोग हिन्दी को राष्ट्रभाषा नहीं मानते।

भाषावाद के कारण →

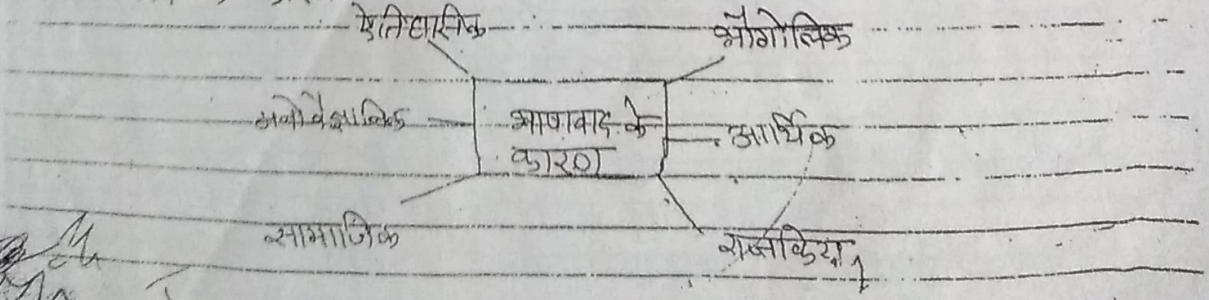

1) ऐतिहासिक कारण →

भारत के इतिहास का अगर विचार किया जाय तो भारत पर कई सरकिय आक्रमण हुए है। ~~लेकिन~~ ~~अंग्रेज~~ मुगलों दवारा पार्शियन (फारसी) भाषा का विकास भारत में हुआ। अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा का ~~विकास किया~~ उपयोग किया। जिसके कारण भारतीय भाषाओं को निम्न दर्जा मिला। आज जब लोगों को अपने भाषा के प्रति अपनेपण का निर्माण हुआ तब लोग अपनी भाषा का उपयोग करने का आग्रह करने लगे, जिससे वाद निर्माण होने लगे।

2) भौगोलिक कारण →

प्रत्येक भाषा का एक अलग साहित्य होता है। इस साहित्य निर्माण के लिए में उस प्रदेश के निसर्ग, ~~मौसम~~, ~~इतिहास~~ वातावरण का का बड़ा हिस्सा होता है अथवा उस भाषा साहित्य पर उस प्रदेश की भौगोलिक स्थिती, सांस्कृतिक स्थिती का अधिक प्रभाव होता है व्यक्ती जिस प्रदेश में रहता है, उस प्रदेश की भाषा, ~~संस्कृति~~ के प्रति उसके मन में संवेदनशीलता होती है अगर कोई प्रादेशिक भाषा के अलावा अलग भाषा बोलने की सख्ती करता है, तो व्यक्ती उसे स्विकार नहीं करता और भाषावाद निर्माण होने लगता है।

3) आर्थिक कारण →

भारत में कई भाषा बोली जाती हैं। इन भाषाओं में से कुछ भाषाओं के विकास के लिए आर्थिक दृष्टीसे मदद की जाती है। जिससे अन्य भाषाओं अन्याय होता है। ~~इस~~ इसलिए अन्य भाषिक ~~लोग~~ अपनी भाषा विकास के लिए संघर्ष करने लगते हैं।

4) राजकिय कारण →

कुछ राजकीय व्यक्ती पक्ष अपने स्वार्थ के लिए कुछ भाषाओं का विरोध करते है। राजकीय व्यक्ती कुछ मामूली वोट के लिए स्वभाषिक और अन्य भाषिकों में संघर्ष निर्माण करते हैं, जिससे भाषिक संघर्ष निर्माण होता है।

5) सामाजिक कारण →

अपनी भाषा को मोठा दिखाने के लिए लोग संघर्ष करते हैं। अन्य भाषाओं को सम्मान नहीं देते।
जैसे - तमिलनाडू के लोग राष्ट्रभाषा हिन्दी ~~को~~ नहीं मानते।

मनोवैज्ञानिक कारण →

व्यक्ती जिस प्रदेश में जन्म लेता है उस प्रदेश की भाषा ही उसकी मातृभाषा होती है। उस मातृभाषा के साथ उसका लगाव होता है। इसलिए अन्य भाषा का स्विकार ~~करने में वह तैयार नहीं~~ वह जल्दी नहीं करता।

भाषावाद का परिणाम →

1) देश का विभाजन →

भाषावाद के कारण देश का विविध भागों में बँटवारा होता है। हिंदी भाषिक, मराठी भाषिक, तामिल भाषिक ऐसा संघर्ष निर्माण होकर लोगों के मन में अन्य भाषा के प्रति द्वेष की भावना निर्माण होती है। जिससे लोग अलग भाषा के लिए अलग प्रदेश (प्रांत) की माँग करते है और देश का विभाजन होता है परिणामत: राष्ट्रीय एकात्मता को क्षति पहुँचती है।

2) विकास प्रक्रिया में बाधा :-

देश मे जब भाषिक संघर्ष निर्माण होता है, तो प्रत्येक समूह अपनी भाषा के विकास के बारे में ही सोचते है जिससे विकास में बाधा निर्माण होने लगती है।

3) बाह्य आक्रमण का

जब देश मे संघर्ष निर्माण होता है तो उस स्थिती का फायदा अन्य देशों को होता है। अन्य राष्ट्र देशपर आक्रमण करते है। इसलिए भावावाद के कारन देश की एकात्मता को क्षति पहुँचती है और बाह्य आक्रमण का धोखा निर्माण है।

4) नए राजकिय पक्षों का उदय :-

भाषावाद के कारण प्रदेशवाद का निर्माण होता है। जिससे किसी एक भाषा के विकास के लिए उस भाषा के समर्थक आगे आते है और अपना एक अलग राजकिय पक्ष बनाते है और केवल उसके विकास के लिए प्रयत्न करते है।

5) स्वतंत्र राज्य की माँग होने लगती है।

6) सामाजिक एकता नष्ट होती है।

7) नयी पिढी पर परिणाम होता है।

8) राष्ट्रीय एकात्मता को धोखा निर्माण होता है।

1C

भाषावाद दूर करने में शिक्षा की भूमिका →

1) शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र का समावेश करना चाहिए।
जैसे - मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, परराष्ट्रीय भाषा.

2) पाठ्यक्रम में विभिन्न भाषा के साहित्य का समावेश करना चाहिए।
जैसे - लोककथा, राष्ट्रीय पराक्रमी ~~जवान~~ जवानों का जीवन चरित्र, लोकगीत इ.

3) विभिन्न भाषिक समूह के सामाजिक जीवन का विवरण देना चाहिए। उनका देश के विकास का योगदान स्पष्ट करना चाहिए।

4) पाठ्यपूरक उपक्रम →

a) विभिन्न भाषाओं के साहित्य का परिचय करनेवाले कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए।

b) विविध भाषा दिनों का आयोजन करना चाहिए।
जैसे - हिन्दी दिवस, मराठी दिवस इ.

c) स्पर्धाओं का आयोजन करना चाहिए।
जैसे - निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, वादविवाद स्पर्धा इ.

d) ऐतिहासिक, सामाजिक विषयपर आधारित विशिष्ट भाषा की नाटिका, नाट्याभिनय विद्यार्थियों से करवाना।

e) जीवनमूल्यों का संस्कार देनेवाले कार्यक्रमों का आयोजन करवाना।

f) राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करनेवाले त्योहारों को मनाना चाहिए।
जैसे - 15 अगस्त, 26 जनवरी इ.

g) परभाषीय विद्यार्थी, राज्य जैसी जगहों पर शैक्षिक, सहल का आयोजन करना।

Date __/__/__
Page ______
STUDY BUDDIES

→ समाज के उच्चवर्ग के लोगो को अंग्रेजी शिक्षा देकर नौकरी में उच्च पद देने से वे बहुजन समाज के लोगो को सरकारी नियमो के विरुद्ध न जाने के लिए समझाएंगे, जिससे सरकार अच्छी तरह से राजकारभार सम्भाल सकेगी।

छानन्नी सिद्धान्त का मूल्यांकन →

→ 1844 मे लार्ड हार्डिंग्ज ने यह घोषणा की कि जो लोग अंग्रेजी स्कूलो मे पढे है उन्ही को सरकारी नौकरी दी जाएगी इसलिए लोग अपने बच्चो को अंग्रेजी स्कूलो मे भेजने लगे।

→ सुशिक्षित लोग सामान्य जनता से दूर होने लगे क्योंकि उन्हे सरकारी नौकरी मिल गई।

→ शिक्षा के कारण लोगो मे अंहकार की भावना जाग्रत हुई।
→ लोग स्वार्थी बने।

→ उच्चवर्गीय लोग अधिक अमीर और प्रगतिशील बने।
→ सामान्य जनता (निम्नवर्गीय) अधिकाधिक गरीब बनी।
→ निम्नवर्ग को शिक्षा से वंचित रहना पड़ा और उनका जीवनमान अधिक निकृष्ट बना।
→ समाज मे अमीर और गरीब वर्ग का निर्माण हुआ।

धार्मिक विविधता → भारतीय जनसंख्या में धर्म यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत के विविध भागों में रहनेवाले विविध लोग विविध धर्मों का पालन करते है क्योंकि भारत में धर्म के बारे में भी विविधता पायी जाती है। विश्व के सभी बड़े-बड़े धर्म भारत में पाये जाते है।

भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक ऐसी जगह है जहां सभी धर्म के लोग अपने धर्म अनुयायियों के साथ रहते है। जिसमें हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, बौद्ध अन्य धर्म है।

भारत में कुछ अपवादात्मक घटनाओं को छोड़कर सभी धर्म खुशी रहते है। धार्मिक विविधता देश की एक विशेषता मानी गयी है इसके बावजूद कुछ घटनाओं के कारण विशिष्ट धर्म के लोगों में अन्य धर्मों के प्रति द्वेष की भावना निर्माण हुई है। इस द्वेष के परिणाम ही साम्प्रदायिकतावाद कहलाता है।

साम्प्रदायिकता (Communalism) साम्प्रदायिकता एक सामाजिक समस्या है। साम्प्रदायिकता इस शब्द का उद्गम 19 वी शताब्दी में हुआ और उसका उग्र (भयानक) रूप 20 वी शताब्दी में देखने को मिल रहा है।

साम्प्रदायिकता का अर्थ → साम्प्रदायिकता अर्थात Communalism जो Community इस शब्द से बना है

Date ___/___/___
Page ______
STUDY BUDDIES

उत्तर

Community इस शब्द का अर्थ है समाज अथवा जाति, व्यक्ति जिस समाज में जन्मा है उस समाज से सम्बन्धित उसका अपनापन अर्थात् साम्प्रदायिकता। अपनी पूजा पाठ, उपासना विधियों, खान-पान, रहन-सहन के तौर तरीकों धर्म जाति नस्ल आदि की भिन्नताओं को ही धर्म का आधार मानना तथा अपनी मान्यतावाले धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझना ही साम्प्रदायिकता है।

आज के समाज में अपनी मान्यतावाले धर्म को सर्वश्रेष्ठ और दूसरी मान्यतावाले धर्मों को निकृष्ट समझना, उनके प्रति नफरत, द्वेष भाव पालना और फैलाना ही साम्प्रदायिकता कहलाता है। अपने लिए श्रेष्ठता और दूसरों के प्रति निकृष्टता का यही भाव हमारे सामाजिक विघटन का मूल कारण है क्योंकि इससे आपसी सामाजिक रिश्ते टूटते हैं।

परिभाषा →

"जब कोई दो समुदाय धर्म के नाम पर एक दूसरे के साथ दुश्मनी रखते हैं, बिना किसी कारण के एक दूसरे से झगड़ा करते हैं अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरों के धर्म को निकृष्ट समझते हैं, द्वेष भावना रखते हैं उसी को साम्प्रदायिकता कहते हैं।"

अपने लिए श्रेष्ठता और दूसरों के प्रति निकृष्टता का यही भाव सामाजिक विघटन करता है। परिणामतः बड़ी-बड़ी समस्या निर्माण होती है।

जैसे - बाबरी मस्जिद गोधरा हत्याकांड, खैरलांजी हत्याकांड इत्यादि साम्प्रदायिकता विविध धार्मिक समुदायों में दिखाई देती है।

जैसे - हिंदू - मुस्लिम, हिंदू - सिख, सिख - बुद्धिस्ट आदि।

साम्प्रदायिकता के कारण

राजकिय कारण

धर्म के उन्माद फैलाकर सत्ता हासिल करने की हर कोशिश साम्प्रदायिकता को बढ़ाती है चाहे वह कोशिश किसी व्यक्ति, समूह या दल के प्रयास क्यों न होती हो। थोक के भाव वोट हासिल करने के लिए धर्म गुरुओं और धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल सभी लोग कर रहे हैं। इस धर्म निरपेक्षता की बात करने वाले राजनैतिक दल भी शामिल हैं। इन दलों ने चुनाव में साम्प्रदायिकता दलों के साथ समझौते भी किए हैं और सत्ता हासिल करने के लिए समझौते भी किये हैं।

धर्मों-धर्मों में दूरी लाने का काम अंग्रेजों के समय से चालू आ रहा है। स्वतन्त्रपूर्व काल में बैरिस्टर जीना ने अपनी राजकीय इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वतन्त्र पाकिस्तान की माँग की और भारत का बँटवारा किया।

आपसी असमंजसता–

भारत का बंटवारा होने से हिंदू मुस्लिम दूरी बढ़ती गई। इन धर्मों को एक दूसरे में लाने के प्रयत्न नाकामयाब हुए जिसका ~~कारण~~ आज भी परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आज भी भारत में फैले आतंकवाद के पीछे मुस्लिम धर्म का हाथ है, ऐसा माना जाता है। इस धर्म के लोगों को शक की नजर से देखा जाता है, परिणामतः आपसी असमंजसता बढ़ता है।

अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना–

अपने लिए श्रेष्ठता और दूसरे के प्रति निकृष्टता का यही भाव हमारे सामाजिक विघटन

का मूल कारण है क्यों कि इससे आपसी सामाजिक रिश्ते टूटते है। सामाजिक विभाजन होता है। अलग-धर्मों को मानने वालो की बस्तियां एक दूसरे से अलग-अलग होने लगती है। यही अलगाव कई आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कारणो से जुड़कर देश के टूटने का कारण बनता है।

→ **आरक्षण —**

अल्पसंख्यक समाज को विकास करने का मौका मिले इसलिए हमारे समाज संविधान में कुछ धाराओं का समावेश हुआ। उसके अनुसार विविध अल्पसंख्यक समाज को नौकरी, शिक्षा आदि में आरक्षण दिया गया है। लेकिन इस आरक्षण से सम्बन्धित विवाद हमेशा होते रहते हैं।

→ **राजकिय नेताओं में मतभेद —**

जिस पक्ष के हाथ में सत्ता आती है, वह अपने राज्य का, धर्म के लोगों का विचार करके विविध विकास के काम करवाता है। विविध प्रकार के रिक्त पदों में भरती करवाते समय अपने धर्म के लोगों को स्थान, आरक्षण दिलवाता है जिससे संघर्ष निर्माण होता है।

→ आर्थिक कारण

साम्प्रदायिकता के परिणाम

1) **सामाजिक एकता का खण्डन —**

भारत में विविध धर्मों के लोग रहते है इन धार्मिक समुदाय में संघर्ष निर्माण होने के कारण सामाजिक एकता पर परिणाम होता है। समाज में विविध धर्मो के गुट का निर्माण होते दिखाई देता है।

Date __/__/__
Page ____
STUDY BUDDIES

राष्ट्रीय एकात्मकता का नाश —
भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एकता बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लोगों की धार्मिक भावनाओं को दुःखाना धर्म के नाम पर अंधे होने के कारण राष्ट्रीय एकात्मकता का नाश होता है।

➢ धार्मिक द्वेष बढ़ता है —
व्यक्ति उसके केवल धर्म के बारे में सोचने लगा तो उसके मन में अन्य धर्म के प्रति घृणा निर्माण होती है। धीरे-धीरे अन्य धर्मों के प्रति द्वेष भावना बढ़ती है।

➢ सामाजिक कृत्य बढ़ते है —
अन्य धर्मों के प्रति द्वेष की भावना बढ़ने से व्यक्ति के मन में अन्य धर्मों के प्रति हल्कट की भावना आने लगती है जिससे समाज में विघातक कृत्य करने की संभावना बढ़ती है।

➢ राज्य व्यवस्था असुरक्षित होती है —
सम्प्रदायिकता के कारण निर्माण होने वाली परिस्थिती में नियम, कानून का उल्लंघन किया जाता है। राज्य-कारोबार चलाना मुश्किल हो जाता है। संम्पूर्ण राज्यव्यवस्था ही असुरक्षित होती है।

➢ आर्थिक विकास में बाधा —
सम्प्रदायिकता के कारण निर्माण होने वाले परिस्थिती को नियंत्रण में लाने में समय लगता है। सभी परिस्थिती नियंत्रित करने में सरकार को ध्यान देना पड़ता है जिससे सरकार जो विकास कामों की ओर ध्यान दे रहे है उस पर ध्यान हट जाता है और समय और पैसों का भी व्यय होता जिसका आर्थिक विकास पर परिणाम होता है।

Date ___/___/___
Page ___
STUDY BUDDIES

साम्प्रदायिकता दूर करने में शिक्षा की भूमिका–

→ लोकशाही तत्वों का विकास करना →
न्याय, स्वातंत्र, समता बंधुता आदि लोकशाही तत्व है। हम किसी भी धर्म के हो, लेकिन अन्य धार्मिकियों के साथ हमें सर्वधर्म समभाव की भावना को रखकर ही चलना है उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है। धर्म निरपक्षता के विकास के लिए लोकशाही तत्वों का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है।

→ सभी धर्म के गाभा तत्वों का अभ्यास करना →
सभी धर्मों के विचार मानव के कल्याण हेतु ही बनाए गए हैं। सभी धर्मों में बताए गए विचार दी गई सीख एक ही है यह समझने के लिए गाभा तत्वों का अभ्यास करना चाहिए

→ पाठ्यक्रम में सुधार →
साम्प्रदायिकता को दूर करने में पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विविध विषयों के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता लाने का प्रयत्न करना चाहिए भाषा विषय के द्वारा धर्म प्रवर्तकों का कार्य, चरित पढ़ना चाहिए जिससे विद्यार्थीयों में सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना निर्माण हो। इतिहास, भूगोल ना० शास्त्र, मूल्यशिक्षा के द्वारा विद्यार्थीयों में धर्म के प्रति मूल्यों का विकास करवाना चाहिए।

→ पाठ्यपूरक कार्यक्रमों का आयोजन →
विविध धर्मों के त्योहार जैसे (गणेशोत्सव ईद, क्रिसमस) महापुरुषों की जयंती (जैसे गुरु नानक जयंती, गौतम बुद्ध जयंती मनाने से साम्प्रदायिका की भावना दूर हो सकती है।
विद्यालयों में कथाकथन स्पर्धा, व्याख्यानमाला, गीतगायन, वक्तृत्व स्पर्धाओं का आयोजन करके भी एकता लाने का प्रयत्न किया जा सकता है

Date ___ / ___ / ___
Page ______
STUDY BUDDIES

शिक्षकों की भूमिका →
अध्यापक द्वारा सभी विद्यार्थियों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। चाहे द्वेष के कारण होने वाले झगड़े उनके परिणाम स्पष्ट किये जाने चाहिए। विद्यार्थियों को अपने हक और कर्तव्यों की जानकारी देनी चाहिए और कक्षा में मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए।

→ विद्यालय की भूमिका →
साम्प्रदायिकता का विकास न हो इसलिए शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करना, पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र का समावेश करना, विद्यालयी स्तर पर पाठ्यपूरक कार्यक्रमों का आयोजन करना, सभी विद्यार्थियों के लिए समान गणवेश रखना।
इस प्रकार साम्प्रदायिकता नष्ट कर सकते हैं।

Contemporary Indian & Unit-1 (B) Education

Regional diversity / प्रादेशिक भिन्नता / प्रादेशिकता

भारत एक विविधतापूर्ण देश है। इस देश में 29 राज्य 7 केन्द्रशासित प्रदेश हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग पहचान है। भारत के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते समय हमें अन्य प्रदेशों में विभिन्नता दिखाई देती है। यह भिन्नता भाषा, खान-पान, वस्त्र, परंपरा, संस्कृति इत्यादि में दिखायी देती है। अर्थात अगर हम पूरे देश का विचार करें तो उत्तरी भाग दक्षिणी भाग से बहुत ही अलग दिखायी देता है। व्यक्ति जिस प्रदेश में रहता है उस प्रदेश में रहने वाले लोगों को अपनी संस्कृति, भाषा, परम्परा इनके बारे में अभिमान होता है लेकिन जब यह लोग अपनी परम्परा को श्रेष्ठ मानने लगते हैं ①

Date __/__/__
Page ____
STUDY BUDDIES

राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचता है। ऐसे संघर्ष के कारण ही प्रादेशिक भिन्नता निर्माण हुई है।

अर्थ— प्रादेशिकता का अर्थ है ऐसे घटक जो किसी प्रदेश से सम्बन्धित होता है। प्रदेश से सम्बंधित उस प्रदेश मे रहने वाले लोगो की भावना अर्थात् प्रादेशिकतावाद अथवा प्रादेशिक भिन्नता है।

परिभाषा— अन्य राज्य अथवा अन्य प्रदेश मे रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अपने राज्य अथवा प्रदेश मे रहने वाले व्यक्तियो के प्रति अपनेपन की भावना रखना प्रादेशिकवाद है।

प्रादेशिकता को भारत मे नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है इसलिए किसी एक प्रांत / प्रदेश के व्यक्ति दूसरे प्रदेश की व्यक्ति की ओर अपनेपन का भाव नही दिखती जिससे राज्यो-२ मे अपने पन की अभाव प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि अपने राज्य का कार्य अपने राज्य मे रहने वालो व्यक्तियो द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। अन्य राज्य या देशों से आने वाले व्यक्तियो को अपने राज्य मे कोई भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि लोग अपना राज्य स्वतन्त्र बनाने की मांग करते हैं।

उदा. —उत्तराखण्ड, उत्तरांचल और झारखण्ड जैसे राज्य।

प्रादेशिक भिन्नता के कारण—

① ऐतिहासिक कारण→ प्रादेशिक भिन्नता का कारण कई बार ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं। भारत मे कई बार राज्यों-२

Date__/__/__
Page ____
STUDY BUDDIES

मे प्रादेशिकता के कारण गंभीर संघर्ष हुए है। इन संघ
के कारण राज्यो मे कटूता, मतभेद निर्माण हुए है
इन संघर्षो के कारण राज्यो मे लोग एक दुसरे को
शक की नजर से देखते है। जिससे राज्यो - २ के
लोगो मे आपसी प्रेम नही दिखाई देता यह द्वेष
की भावना राष्ट्रीय एकात्मता के लिए विघातक है
उदा० - महाराष्ट्र - बिहार ।

भौगोलिक कारण —

विविध राज्य / प्रान्त मे कई ब
के विविधता पायी जाती है जैसे: खान-पान, भाष
परंपरा, जीवनशैली, संस्कृति इत्यादि। यह भिन्नता
केवल राज्य तक ही मर्यादित नही रहती है। राज्यो
के अन्य भागो मे भी ऐसी भिन्नता दिखायी देती
है। यह भिन्नता उस प्रदेश के भौगोलिक स्थिति
के कारण दिखायी देती है।
उदा० - कोंकण के लोगो का मुख्य अन्न चावल
और मछली होता है, पंजाब के लोगो का अन्न,
पोशाख इत्यादि मे भिन्नता होती है।

आर्थिक कारण —

अगर किसी राज्य मे आर्थीक विकास
के साधन नही होते है, नौकरियां नही होती है तो
उस राज्य के लोग जहां नौकरी मिले वहां चले जाते
है। जैसे- मुम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर, मद्रास जैसी
जगह यु० पी०, बिहार के लोग पैसा कमाने के लिए
स्थनान्तरित होते है। लेकिन ऐसी स्थानान्तरण
अधिक मात्रा मे होने से उस राज्य की जनसंख्या
बढ़ने लगती है जिससे राज्य मे बेरोजगारी, रहने
की समस्या, गरीबी जैसी समस्याएं बढ़ती है। इन
समस्याओ के कारण उस राज्य मे रहने वाले लोग

स्थानान्तरित व्यक्तियों का द्वेष करने लगे और उन्हें राज्य से निकालने का प्रयत्न करते है।

4) राजकिय कारण —
कुछ प्रान्त के लोग अपने विभाग के लिए स्वतन्त्र प्रांत की मांग करते है, लेकिन स्वतन्त्र प्रदेश प्राप्त करने से उनका राजकीय लाभ होता है उनके हाथ मे सत्ता एकत्रित होती है और लोगो का नुकसान होता है। स्वतन्त्र प्रदेश की मांग राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकात्मकता मे बाधा निर्माण करती है।

5) सामाजिक कारण —
भारत जैसे राष्ट्र मे विवाह करते समय लोग अपने ही प्रांत के लोगो (लड़के-लड़की) को प्राधान्य देते है। दूसरे प्रदेश के (लड़के-लड़कियों) लोगो के साथ सम्बन्ध जोड़ना टालते है। क्योकि दूसरे प्रदेश के लोगो की संस्कृति, खान-पान, रहन सहन अलग होने से अपने प्रांत के लोगो को प्राधान्य दिया जाता है।

6) मनोवैज्ञानिक कारण —
राज्य मे रहने वाले सभी लोगो को अपने राज्य का अधिकाधिक विकास हो ऐसा लगता है। जिससे राज्य के प्रति उनकी भावना अच्छी दिखाई देती है लेकिन यही भावना राष्ट्र के हित मे बाधा डालती है, तो वह प्रादेशिकता कहलाती है।

प्रादेशिकता के परिणाम —

> प्रादेशिकता के कारण देश का विभाजन होता है।
> राष्ट्रीय एकात्मकता मे बाधा उत्पन्न होती है।

Date __/__/__
Page ______
STUDY BUDDIES

→ अभ्यासपूरक कार्यक्रमो का आयोजन →
संस्कृत कार्यक्रमो को मानना। जैसे - गणेशोत्सव, पोंगल, क्रिसमस आदि। नाट्कीपकरण, वाद विवाद व भाषण जैसे स्पर्धाओं का आयोजन।
सैर का आयोजन (जिसे विद्यार्थियों को प्रदेश की भौगोलिक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जानकारी मिले), अन्य भाषाओं की जानकारी देना।

→ सामाजिक जीवन ज्ञान →
शिक्षा द्वारा भारत मे विविध राज्यो का सामाजिक जीवन कैसा है यह स्पष्ट किया जा सकता है।